

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उ०प्र०, प्रयागराज।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-३**

विषय: प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDP (Apprenticeship Embedded Degree Program) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उल्लंघन प्रदेश शासन के पत्रांक सं०-2422/सत्तर-3-2023, दिनांक 28.08.2023, पत्रांक सं०-2773/सत्तर-3-2024, दिनांक 24.10.2024 पत्रांक सं०- 3012/सत्तर-3-2024, दिनांक 21.11.2024, पत्रांक सं०-3075/सत्तर-3-2024, दिनांक 28.11.2024 पत्रांक सं०-810/सत्तर-3-2025, दिनांक 31.03.2025 पत्रांक सं०-1177/सत्तर-3-2025, दिनांक 14.05.2025, पत्रांक सं०-1384/सत्तर-3-2025, दिनांक 16.06.2025 एवं य००१०सी० द्वारा निर्गत नवीनतम गाइडलाइन्स मार्च, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत निर्देशों के अनुरूप AEDP (Apprenticeship Embedded Degree Program) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :-

- उपरोक्त शासनादेशों एवं य००१०सी० द्वारा निर्गत नवीनतम गाइडलाइन्स (संलग्नक-१) के क्रम में AEDP पाठ्यक्रम का संचालन कराना सुनिश्चित करें।
- SOP (संलग्नक-२) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें।
- प्रोग्रेस ट्रैकर (संलग्नक-३) में दिये गये प्रारूप पर AEDP के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मासिक रूप से योजना के क्रियान्वयन की प्रगति से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार कर योजना का लाभ बताते हुए क्रिस्प के माध्यम से कार्यशाला आयोजित कर इनरोलमेन्ट/नामांकन कराया जाय।

**संलग्नक-यथोक्ति।**

Digitally signed by  
GIRIJESH KUMAR TYAGI  
Date: 22-11-2025  
17:00:01  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, विशेष कार्याधिकारी, महामहिम श्री राज्यपाल, उल्लंघन प्रदेश।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

College Name:

## AEDP Program Names:

Month:

Signature

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध  
संख्या- 2422 / सत्तर-3-2023

**प्रेषक,**

एम०पी० अग्रवाल,  
 प्रमुख सचिव  
 उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

कुलसचिव,  
 समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
 उ०प्र०।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2023**

**विषय:-** किस्प के माध्यम से NIRF रैंकिंग हेत चयनित 113 महाविद्यालयों में नये कौशल अन्तर्निहित (Skill Embedded) डिग्री कोर्सेज आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे डा० राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न बैठक के अनुक्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के 113 महाविद्यालयों में किस्प संस्था द्वारा डिजाइन किये गये 04 सेक्टर्स (रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी) से सम्बन्धित 03 वर्षीय बी०बी०ए० / बी०ए०स०सी० डिग्री कोर्सेज वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही संचालित किया जाना है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त डिग्री कोर्सेज के वर्तमान सत्र से ही संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें—

1. समस्त विश्वविद्यालय उक्त सन्दर्भित कोर्सेज को अपने सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराकर इन कोर्सेज के संचालन के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करायें।
2. चूंकि उक्त सन्दर्भित महाविद्यालय पहले से ही संचालित हैं और इनकी मान्यता के समय पूर्व में ही अनापत्ति (एन०ओ०सी०) दी गयी है। किस्प द्वारा डिजाइन किये गये उक्त कोर्सेज इन महाविद्यालयों में अतिरिक्त कोर्स के रूप में आरम्भ किये जाने हैं, अतः इन महाविद्यालयों के लिए पृथक से भूमि व भवन के सम्बन्ध में अनापत्ति लेने का कोई औचित्य नहीं है।
3. तात्कालिकता के दृष्टिगत इन चिन्हित महाविद्यालयों/कोर्सेज के सम्बन्ध में सम्बद्धता की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 15 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय।
4. उक्त प्रतिबन्ध केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु 04 कोर्सेज—बी०बी०ए० (रिटेल), बी०बी०ए० (लॉजिस्टिक), बी०बी०ए० (हेल्थकेयर) एवं बी०ए०स०सी० (टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी) तथा संलग्न सूची में उल्लिखित 113 महाविद्यालयों पर ही लागू होंगे। इसे नजीर बनाकर अन्य महाविद्यालयों पर लागू नहीं किया जायेगा।

**संलग्नक—यथोक्त**

भवदीय,

(एम०पी० अग्रवाल)  
 प्रमुख सचिव।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रो0 बलराज चौहान, स्टेड लीड, किस्प संस्था को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल्स के CEOs तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समन्वय करते हुए उनके मध्य एम0ओ0यू0 कराने का कष्ट करें।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 5- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 6- डॉ0 संजय कुमार दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रुसा
- 7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 8- प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 9- प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय (सूची संलग्न)। (द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 के माध्यम से)

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

प्रधान,

शिशु शिरि,

विद्या गविन,

उपरोक्त शामन।

मेवा मे,

- निदेशक, उच्च शिक्षा, उपरोक्त शामन।
- कृत्यविविधालय, गम्भन गाँव/निवासियों के लिए शिक्षा विभाग

## उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लम्बनक: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2024

विषय: यूजीमी के दिशानिर्देशों और गांधीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसर प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अप्रैलिंग-ग्राम्बंदेश द्वितीय प्रोग्राम (गांधीरी) मन्तव्यित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राप्त बलगत चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्या, लम्बनक के प्रति गम्भा-PEHLE-UP/CRISP/OCT.-2024/Ltr.-64, दिनांक 22.10.2024 (द्वायाप्रति मन्तव्य) का कृपया मंदर्भ यहां करने का रास्ता करें, जिसके माध्यम से यूजीमी के दिशा-निर्देशों और गांधीय शिक्षा नीति-2020 के रैग 16.7 के अनुसर प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अप्रैलिंग-ग्राम्बंदेश द्वितीय प्रोग्राम (गांधीरी) मन्तव्यित किए जाने के लिए निम्नलिखित द्वितीय प्रोग्राम के लिए मेन्टर विकास काउनिस्ट (गम्भागर्मी) द्वारा विकासित माइक्रो प्रोजेक्ट प्रेसित किया गया है:-

- वी.कौम (वैकिंग, विनीय मेवा और वीमा)
- वी.कौम (स्टेट औपरेशन्स मैनेजमेंट)
- वी.कौम (नॉजिस्ट्रिक्शन)
- वी.गमर्मी (ट्रिप्पल ग्राम डॉमिनेंटी औपरेशन्स)

2- उक्त मंदर्भित प्रति दिनांक 22.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय आगामी बोर्ड औफ एक्साम (वीओएम) की बैठक में वाणिज्य और विज्ञान मंकाय के माध्यम से शुल्क दिए जाने वाले उक्त प्राक्तन विद्यार्थियों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त इसे वाणिज्य और विज्ञान मंकाय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उक्त प्राक्तन विद्यार्थियों का गंभागत आगम्ब कर सकते हैं।

3- उल्लेखनीय है कि उन्नर प्रदेश गाँव विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के कुलपति के पास उक्त गांधीरी कार्यक्रमों को नकारात शुल्क करने तथा मंदर्भित वैधानिक नियायों में वाद में अनुमोदन प्राप्त करने का अधिकार है।

4- गांधीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के मम्बल्य में प्रमुख मन्त्रिव, उच्च शिक्षा विभाग, उपरोक्त शामन की अध्यक्षता में दिनांक 22.10.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे गम्भन गमीधा बैठक के द्वारा में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया ममी विश्वविद्यालय क्रिस्या मंस्था एवं मम्बल्य भेजीय उच्च शिक्षा अधिकारी में गम्भन्य करने हुए एवं गाँवाह के भीतर एक नियि निधारित कर अपने ममी मम्बल्य महाविद्यालयों के माथ बैठक

कर लें, जिसमें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में उच्च AEDPs का गृहान्वयन गमन करने का वर्णन किया गया है। अतः विश्वविद्यालय उपर्युक्तानुभाग कार्यवाही करने हुए, अपने प्रगति में कम से कम एक AEDP गमनालिङ्ग करने वाले वार्षिक विद्यार्थी की आवश्यकता आगते को भी शीघ्र उपलब्ध कराने का कारबंदी करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवानीग.

Signed by Sipu Girir  
Date: 24-10-2024 17:01:09  
(सिपु गिरि)  
विद्यालय गविव.

### मास्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गृहनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- कुलगनि गमन गाज्य/निजी विश्वविद्यालय, 30प्र०।
- 2- प्रो० बलगाज चौहान, ब्लैट लीड, क्रिकेट, लखनऊ।
- 3- निजी गविव, प्रमुख गविव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र० शागत।
- 4- निजी गविव, ममन विशेष गविव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र०।
- 5- अपर गविव, 30प्र० गाज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आधार से प्रेषित वि वृद्धि उपर्युक्तानुभाग कार्यवाही करने हेतु ममन गाज्य/निजी विश्वविद्यालय, 30प्र० को अपने नाम से भी निर्देशित करने का कारबंदी करें।
- 6- ममन ध्वनीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 30प्र०।
- 7- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, 30 मायावनी गजकीय महिला आनंदोनर महाविद्यालय, चारूपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा म.

Signed by  
Surya Prakash Mishra  
Date: 24-10-2024 17:12:19  
उप गविव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-3012 /सत्र-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 21 नवम्बर, 2024

विषय: अप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (ए0ई0डी0पी0) के संचालन हेतु महाविद्यालयों को चिह्नित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रो0 बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प, लखनऊ के पत्र संख्या-PEHLE-UP/CRISP/NOV-2024/Ltr.-67, दिनांक 14.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (ए0ई0डी0पी0) के संचालन हेतु निम्नवत् मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कम से कम 10 महाविद्यालयों को चिह्नित करते हुए चिह्नित महाविद्यालयों की सूची क्रिस्प संस्था को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

1. The college should have a total student enrollment of at least 2,000 across all three years.
2. The college must have at least two faculty members in the Commerce department.

Additionally, preference should be given to colleges that:

- Have a strong reputation within their local community.
- Maintain an enrollment rate exceeding 70% in undergraduate Commerce programs.

2- इम सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत कम से कम 10 महाविद्यालयों को चिह्नित करते हुए चिह्नित महाविद्यालयों की सूची प्रत्येक दशा में दिनांक 26.11.2024 तक क्रिस्प संस्था को ई-मेल आई0-balraj@crispindia.net पर उपलब्ध कराने के साथ ही उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कानून करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri

(टायपैट: गिरि) 2024 12:40:29

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री गिरि), उच्च शिक्षा विभाग, ३०प्र०।
- 3- प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प, लखनऊ।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, ३०प्र०, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, ३०प्र० को अपने स्तर से भी निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही की आव्याश शासन को दिनांक 26.11.2024 तक उपलब्ध कराने का काष्ट करें।
- 5- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, ३०प्र०।
- 6- अपर सचिव, ३०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 7- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला श्रातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

Signed by Surya Prakash

Mishra


(Date: 29/10/2024 14:55:58)

उप सचिव।

संख्या 3012 / मार्ग 3-2024

**Prof. Balraj Chauhan**  
State Lead.

Former V.C., DNLU, Jabalpur  
Former V.C., NLIU, Bhopal  
Former V.C., RMLNLU, Lucknow  
Former Member UP Law Commission  
Former Member State Legal Services



Reg No. S/3007/SD/2022

**Project for Excellence in Higher Learning  
and Education in U.P. PEHLE UP**



PEHLE - UP / CRISP / Nov-2024 / Ltr. 67

Date: 14 Nov. 2024

Dear Sir,

**Subject: Identification of Colleges for Launch of Apprenticeship  
Embedded Degree Programs (AEDP)**

In alignment with the discussions and resolutions made during the review meeting of the PEHLE UP project held on October 8, 2024, it is essential to proceed with the identification of colleges suitable for the implementation of Apprenticeship Embedded Degree Programs (AEDP).

प्रोरेस These programs are in line with the National Education Policy (NEP) 2020, which emphasizes the integration of skill embedded educational programs into mainstream of higher education and revises curricula to address current industry requirements. The UGC Guidelines for, "Higher Education Institutions to Offer Apprenticeship/Internship Embedded Degree Programmes," further underscore the importance of this initiative.

मिल्ली आरोग्य प्रमुख सचिव,  
उच्च शिक्षा, नागरिक सुरक्षा,  
राजनीतिक पेशन एवं विकारिता विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
Therefore I request you to direct the Regional Higher Education Officers, to Identify atleast 10 colleges. Following parameters might be used by RHEOs for the Identification:

50-3

1. The college should have a total student enrollment of at least 2,000 across all three years.
2. The college must have at least two faculty members in the Commerce department.

14/11/24 लिखा यादव  
निजी सचिव,  
विशेष सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन। 80-3

A201-5  
10/11/2024

Par

contd. --


Email Id: profbalrajchauhan2012@gmail.com, balraj@crispindia.net, Mob.No: 9755533007, 9453000077  
Head Office: TSUIC Zonal office Building, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

Lucknow Office: Kalakankar House Old Hyderabad Lucknow-226007



**Prof. Balraj Chauhan**  
State Lead.

Former V.C., DNLU, Jabalpur  
Former V.C., NLIU, Bhopal  
Former V.C., RMLNLU, Lucknow  
Former Member UP Law Commission  
Former Member State Legal Services



Reg No. S/3007/SD/2022  
Project for Excellence in Higher Learning  
and Education in U.P. PEHLE UP



Date: .....

Additionally, preference should be given to colleges that:

- Have a strong reputation within their local community.
- Maintain an enrollment rate exceeding 70% in undergraduate Commerce programs.

It would be great if the identification process should be completed within the next two weeks. A copy of the same list should be forwarded to me on following email – ‘balraj@crispinida.net’, so that I can instruct my team for further actions.

Your timely and effective action in this matter is crucial for the successful implementation of AEDP across Uttar Pradesh.

*With esteem regards*

*Prof. Balraj Chauhan*  
Le. 11.2024

Sri. M.P. Agarwal IAS  
Principal Secretary, Higher Education,  
Government of Uttar Pradesh

Copy to :

Sri. Sipu Giri, IAS, Special Secretary, Higher Education, Uttar Pradesh

Sri. R. Subrahmanyam, IAS (Retd.) Mentor

Sri. Sitaram Janardan Kunte IAS (Retd.) Mentor

Section -3, Higher Education Department, Uttar Pradesh

Email Id: profbalrajchauhan2012@gmail.com, balraj@crispindia.net, Mob.No: 9755533007, 9453000077  
Head Office: TSIIC Zonal office Building, Ground Floor, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

Lucknow Office: Kalakankar House Old Hyderabad Lucknow-226007



महत्वपूर्ण

संख्या-3075 / सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,  
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 28 नवम्बर, 2024

विषय : प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) संयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2773/सत्तर-3-2024, दिनांक 24.10.2024 एवं पत्र संख्या-3012 / सत्तर-3-2024, दिनांक 21.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) संयोजित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त AEDPs का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा उच्च शिक्षा निदेशालय, समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक-एक नोडल रिसोर्स पर्सन नामित करते हुए उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल का विवरण प्रो0 बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को दिनांक 29.11.2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3— PEHLE-UP (Project for Excellence in higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य को किसी भी अतिरिक्त जानकारी अथवा इसमें आने वाली समस्याओं में सहयोग हेतु CRISP संस्था के स्टेट लीड प्रो0 बलराज चौहान (ई-मेल आई0ली0 balraj@crispindia.net) तथा AEDPs के सम्बन्ध में किस्प के नोडल रिसोर्स पर्सन श्री चन्द्रमणि सिंह (मोबाइल नंबर-8299810470, ई-मेल आई0ली0 chandramani@crispindia.net) से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri

Date: 28.11.2024 11:45:08

(शिपू गिरि)

विशेष सचिव।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उच्च शिक्षा परिषद् स्तर पर एक नोडल रिसोर्स पर्सन नामित करते हुए उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल का विवरण प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ (ई-मेल आई०डी० balraj@crispindia.net) को उपलब्ध कराने के साथ ही विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सूचना समेकित रूप में शासन को दिनांक 29.11.2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में प्रदेश रिथित समस्त महाविद्यालयों में एक-एक नोडल रिसोर्स पर्सन नामित करते हुए उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल का विवरण प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ (ई-मेल आई०डी० balraj@crispindia.net), अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ एवं शासन को दिनांक 29.11.2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

Signed by Surya Prakash  
Mishra  
(ए०प्र० २०२४) 2024 13:52:17  
उप सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या- ८/० /सत्तर-३-२०२५-१६८४५६७

प्रेषक,

शिपू गिरि,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलासचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक ३। मार्च, २०२५

विषय : प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-२७७३/सत्तर-३-२०२४ दिनांक २४.१०.२०२४, पत्र संख्या-३०१२/सत्तर-३-२०२४ दिनांक २१.११.२०२४, पत्र संख्या-३०७५/सत्तर-३-२०२४ दिनांक २८.११.२०२४ एवं रांख्या-६५३/सत्तर-३-२०२५-१६८४५६७, दिनांक १७.०३.२०२५ का कृपया रान्दर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिनके द्वारा प्रदेश स्थिति उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) संचालित किये जाने हेतु आतशगक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

२- अतगत कराना है कि क्रिय प्राप्ति द्वारा PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) में निम्नवत् पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :-

- बी०काम० (बैंकिंग, वित्तीय सेवायें और बीमा)
- बी०काम० (रिटेल, आपरेशन मैनेजमेण्ट)
- बी०काम० (लॉजिस्टिक्स)
- बी०काम० (ई-कार्मरी, आपरेशन)
- बी०एस०सी० (ट्रूसिंज एण्ड हास्पिटैलिटी ऑपरेशन)

३- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विश्वविद्यालय नियमानुसार उक्त कोर्सेस के अनुमोदन/संचालन हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में उक्त कोर्सेस में इच्छुक महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जा सके एवं सफलतापूर्वक संचालन हो सके। उक्त के अतिरिक्त निम्नवत् निर्देशों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :-

- पत्र के साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय में समावित महाविद्यालयों की सूची संलग्न की गयी है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वह इनकी काउन्सलिंग करें एवं जो कालोज इस पाठ्यक्रम को गताना चाहते हैं, में सम्बद्धता प्राप्त करने के इच्छुक थे। उन्हें शासनादेश

संख्या-2422 / सत्तर-3-2023, दिनांक 28.08.2023 के क्रम में नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने का कष्ट करें।

- प्रत्येक विश्वविद्यालय सलान सूची में अंकित महाविद्यालयों के साथ शीघ्र ही बैठक का आग्रहन करें। उक्त महाविद्यालयों को इन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों में संचालन हेतु अपनी प्रक्रिया एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- उक्त पाठ्यक्रमों का प्रचार-प्रसार विश्वविद्यालय की टेबराइट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि माध्यमों के द्वारा सुनिश्चित करवाये।

4- PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के रामबन्ध में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य को किसी भी अतिरिक्त जागरूकी अथवा इसमें आने वाली समस्याओं में सहयोग हेतु क्रिएप संस्था के रेटेट लीड प्रोफेशनल बलराज चौहान (ई-मेल आईडी 0 balraj@crispindia.net) तथा AEDPs के सम्बन्ध में क्रिएप के नोडल रिपोर्ट पर्सन श्री चन्द्रमणि सिंह (मोबाइल नम्बर-8299810470, ई-मेल आईडी 0 chandramani@crispindia.net) से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक-यथोक्ता।

भवदीय,

(शिपु गिरि)  
विशेष सचिव।

Signed by Sipu Giri  
Date: 30-03-2025 14:28:26

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रोफेशनल बलराज चौहान, रेटेट लीड, क्रिएप संस्था, लखनऊ।
- 2- निदेशक, एन0आई0सी0, उप्रो।
- 3- निजी सचिव, मारो मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उप्रो।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उप्रो शासन।
- 5- अपर सचिव, उप्रो राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 6- समरत क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रातगन सूची में अंकित महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्राप्त करनें में पूर्णता सहयोग करें।
- 7- प्रोफेशनल चन्द्र शर्मा, कुरु मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)  
उप सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध  
संख्या- 2422 / सत्तर-3-2023

**प्रेषक,**

एम०पी० अग्रवाल,  
 प्रमुख सचिव  
 उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

कुलसचिव,  
 समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
 उ०प्र०।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ : दिनांक 28 अगस्त, 2023**

**विषय:-** किस्प के माध्यम से NIRF रैंकिंग हेत चयनित 113 महाविद्यालयों में नये कौशल अन्तर्निहित (Skill Embedded) डिग्री कोर्सेज आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे डा० राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न बैठक के अनुक्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के 113 महाविद्यालयों में किस्प संस्था द्वारा डिजाइन किये गये 04 सेक्टर्स (रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी) से सम्बन्धित 03 वर्षीय बी०बी०ए० / बी०ए०स०सी० डिग्री कोर्सेज वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही संचालित किया जाना है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त डिग्री कोर्सेज के वर्तमान सत्र से ही संचालित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें—

1. समस्त विश्वविद्यालय उक्त सन्दर्भित कोर्सेज को अपने सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराकर इन कोर्सेज के संचालन के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करायें।
2. चूंकि उक्त सन्दर्भित महाविद्यालय पहले से ही संचालित हैं और इनकी मान्यता के समय पूर्व में ही अनापत्ति (एन०ओ०सी०) दी गयी है। किस्प द्वारा डिजाइन किये गये उक्त कोर्सेज इन महाविद्यालयों में अतिरिक्त कोर्स के रूप में आरम्भ किये जाने हैं, अतः इन महाविद्यालयों के लिए पृथक से भूमि व भवन के सम्बन्ध में अनापत्ति लेने का कोई औचित्य नहीं है।
3. तात्कालिकता के दृष्टिगत इन चिन्हित महाविद्यालयों/कोर्सेज के सम्बन्ध में सम्बद्धता की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से अधिकतम 15 दिन के भीतर पूर्ण कर ली जाय।
4. उक्त प्रतिबन्ध केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु 04 कोर्सेज—बी०बी०ए० (रिटेल), बी०बी०ए० (लॉजिस्टिक), बी०बी०ए० (हेल्थकेयर) एवं बी०ए०स०सी० (टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी) तथा संलग्न सूची में उल्लिखित 113 महाविद्यालयों पर ही लागू होंगे। इसे नजीर बनाकर अन्य महाविद्यालयों पर लागू नहीं किया जायेगा।

**संलग्नक—यथोक्त**

भवदीय,

**(एम०पी० अग्रवाल)**  
**प्रमुख सचिव।**

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रो0 बलराज चौहान, स्टेड लीड, किस्प संस्था को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया रिटेल, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउन्सिल्स के CEOs तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समन्वय करते हुए उनके मध्य एम0ओ0यू0 कराने का कष्ट करें।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 5- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 6- डॉ0 संजय कुमार दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रुसा
- 7- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 8- प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 9- प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय (सूची संलग्न)। (द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 के माध्यम से)

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।

810 — 2023

UNIVERSITY/MAHILA SNATIKOTTAR COLLEGES				
NAME	NAME	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY
Varanasi	Ghazipur	GOVT	Semi Urban	Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur
Varanasi	Jaunpur	AIDED	Semi Urban	Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur

RHEO	DEPT	NAME	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY
					AIDED
Lucknow	Balrampur	MAHARANI LAL KUNWARI POST GRADUATE COLLEGE, BALRAMPUR- (U.P.)	AIDED	Urban	Siddharth University

## UNIVERSITY WISE LIST OF COLLEGES

UNIVERSITY	NAME	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY	
Lucknow	Lakhimpur Kheri	ADARSH JANTA MAHAVIDYALAYA DEVKALI KHERI	PRIVATE	Rural	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	SHIA POST GRADUATE COLLEGE	AIDED	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	KALICHARAN DEGREE COLLEGE	AIDED	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	ISABELLA THORBURN COLLEGE	AIDED	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	NATIONAL POST GRADUATE COLLEGE (AUTONOMOUS)	AUTONOMOUS	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	RAMA MAHAVIDYALAYA	PRIVATE	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	LUCKNOW PUBLIC COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES	PRIVATE	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	BALRAM KRISHAN ACADEMY C-51058	PRIVATE	Urban	University of Lucknow
Lucknow	Lucknow	SRI KRISHNA DUTT ACADEMY	PRIVATE	Urban	University of Lucknow

UNIVERSITY		COLLEGES		UNIVERSITY	
NAME	DISTRICT	NAME	DISTRICT	NAME	LOCATION
Prayagraj	Prayagraj	HEMWATI NANDAN BAHUGUNA GOVT. PG COLLEGE NAINI PRAYAGRAJ	Prayagraj	GOVT	Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj Semi-urban

LIST OF COLLEGES				
RHO	DISTRICT	NAME	CATEGORY	LOCATION
Bareilly	Amroha	RAMABAI AMBEDKAR GOVT DEGREE COLLEGE GAJRAULA, AMROHA	GOVT	Rural
Bareilly	Bijnor	VIVEK COLLEGE OF EDUCATION, BIJNOR	PRIVATE	Rural
Bareilly	Budaun	D. R. A. GOVERNMENT DEGREE COLLEGE,BISAULI,UTTAR PRADESH	GOVT	Semi-urban
Bareilly	Moradabad	GOKUL DAS HINDU GIRLS COLLEGE, MORADABAD	AIDED	Urban
Bareilly	Moradabad	R.S.D. ACADEMY	PRIVATE	Urban
Bareilly	Rampur	Shree Guru Tegh Bahadur Sahib Govt. Degree College,Bilaspur,Rampur	GOVT	Rural
Bareilly	Rampur	GOVERNMENT RAZA POST GRADUATE COLLEGE	GOVT	Urban
2	Bareilly	GOVERNMENT RAZA POST GRADUATE COLLEGE	GOVT	Urban
Bareilly	Shahjahanpur	GANDHI FAIZ-E-AAM COLLEGE	AIDED	Urban
Bareilly	Shahjahanpur	SWAMI SHUKDEVANAND COLLEGE	PRIVATE	Urban

UNIVERSITY & STATE COLLEGES					
UNI/CO	DISTRICT	NAME	CATEGORY		
LOCATION	UNIVERSITY	LOCATION	UNIVERSITY		
Varanasi	Bhadohi	K. N. GOVT. PG COLLEGE GOVERNMENT POST GRADUATE COLLEGE OBRA SONBHADRA	GOVT	Rural	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi	Sonebhadra	SUNBEAM COLLEGE FOR WOMEN, BHAGWANPUR, LANKA, VARANASI	AUTONOMOUS	Semi-Urban	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi	Varanasi	UDAI PRATAP COLLEGE, VARANASI	AUTONOMOUS	Urban	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi	Varanasi	PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAY GOVERNMENT GIRLS DEGREE COLLEGE	GOVT	Semi-Urban	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi	Chandauli	SAKALDIHA PG COLLEGE	AIDED	Rural	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth

LIST OF COLLEGES				
NAME	DISTRICT	NAME	CATEGORY	LOCATION
Meerut	Muzaffarnagar	SANATAN DHARM COLLEGE	AIDED	Semi-Urban
Meerut	Saharanpur	GOVT. DEGREE COLLEGE NANAUTA SAHARANPUR	GOVT	Rural

UNIVERSITY WISE LIST of COLLEGES				
UNIVERSITY	DISTRICT	NAME	CATEGORY	LOCATION
Varanasi	Ballia	KISAN P.G. COLLEGE	PRIVATE	Semi urban

UNIVERSITY/ INSTITUTION	NAME	LOCATION	CATEGORY	UNIVERSITY
RHO	DISTRICT	NAME		
		KAMILA NEHRU INSTITUTE OF PHYSICAL AND SOCIAL SCIENCES	AIDED	Rural
Lucknow	Sultanpur	Dr Ram Manohar Lohia Awadh University		

UNIVERSITY / COLLEGE			NAME	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY
SN	HEC	DISTRICT				
1	Agra	Agra	BAIKUNTHI DEVI KANYA MAHavidhyalya AGRA	AIDED	Urban	Dr. B.R. Ambedkar University
2	Agra	Firozabad	SMT MAHADEVI MAHavidhyalya	PRIVATE	Rural	Dr. B.R. Ambedkar University

LIST OF COLLEGES				
NAME	DISTRICT	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY
SANT VINOBABA POST GRADUATE COLLEGE DEORIA	Deoria	AIDED	Semi Urban	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University
BAPU POST GRADUATE COLLEGE PIPIGANJ, GORAKHPUR UP	Gorakhpur	AIDED	Rural	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University
DIGVIJAI NATH POST GRADUATE COLLEGE	Gorakhpur	AIDED	Urban	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University
MAHATMA GANDHI POST GRADUATE COLLEGE	Gorakhpur	AIDED	Urban	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University
CHANDRAKANTI RAMAWATI DEVI ARYA MAHILA PG. COLLEGE GORAKHPUR	Gorakhpur	PRIVATE	Urban	Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University

UNIVERSITY/INSTITUT OF COLLEGE				
REGD.	DISTRICT	NAME	CATEGORY	LOCATION
Meerut	Bulandshahar	I.P. (P.G.) College, CAMPUS-II, Bulandshahr	AIDED	Semi-urban
Meerut	Gautam Buddha Nagar	KM. MAYAWATI GOVERNMENT GIRLS POST GRADUATE COLLEGE	GOVT	Rural
Meerut	Gautam Buddha Nagar	RAMA DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA	PRIVATE	Urban
Meerut	Ghaziabad	MULTANIMAL MODI COLLEGE MODINAGAR	AIDED	Urban
Meerut	Ghaziabad	ROYAL EDUCATIONAL INSTITUTE	PRIVATE	Semi-urban
Meerut	Ghaziabad	RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE	PRIVATE	Urban
Meerut	Ghaziabad	MODERN COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES C-52795	PRIVATE	Urban
Meerut	Gautam Buddha Nagar	ST. THOMAS COLLEGE OF EDUCATION C-57616	PRIVATE	Urban
Meerut	Meerut	KANOHAR LAL SNATAKOTTAR MAHILA MAHAVIDYALAYA MEERUT	AIDED	Urban
Meerut	Meerut	NANAKCHAND ANGLO SANSKRIT COLLEGE, MEERUT	AIDED	Urban
Meerut	Meerut	DEVA NAGRI COLLEGE, MEERUT	AIDED	Urban
Meerut	Meerut	MEERUT COLLEGE, MEERUT	AIDED	Urban
Meerut	Meerut	Shahed Mangal Pandey Government Girls PG College	GOVT	Urban
Meerut	Meerut	RAGHUNATH GIRLS&#39; POST GRADUATE COLLEGE	AIDED	Urban
Meerut	Ghaziabad	GINNI DEVI MODI GIRLS PG COLLEGE	AIDED	Semi-urban
Meerut	Muzaffarnagar	JAIN KANYA PATHSHALA (P.G.) COLLEGE	AIDED	Urban
Meerut	Muzaffarnagar	SHRI RAM COLLEGE, MUZAFFARNAGAR	PRIVATE	Semi-urban
Meerut	Shararpur	LALA KISHAN CHAND RAJKIYA MAHAVIDHALAYA GANGOH , SAHARANPUR	GOVT	Rural
Meerut	Shamli	R K (PG) COLLEGE , SHAMLI	AIDED	Urban

UNIVERSITY/ INSTITUTE			
NAME	DISTRICT	NAME	UNIVERSITY
NAME	LOCATION	CATEGORY	UNIVERSITY
Kanpur	Etawah	CHAUDHARY SUGHAR SINGH EDUCATIONAL ACADEMY	PRIVATE
Kanpur	Farrukhabad	KRISHNA DEVI BALIKA DEGREE COLLEGE	PRIVATE
Kanpur	Farrukhabad	SAI MEER DEGREE COLLEGE	PRIVATE
Kanpur	Farrukhabad	MAJOR SHIVDAYAL SINGH MAHAWIDYALAYA	PRIVATE
Kanpur	Farrukhabad	SHRI BABU SINGH DEGREE COLLEGE, FATEH GARGH	PRIVATE
Kanpur	Farrukhabad	VIDYA MANDIR DEGREE COLLEGE	PRIVATE
Kanpur	Kanpur	Dayanand Girls P.G College	AIDED
Kanpur	Kanpur	KANPUR VIDYA MANDIR MAHILA MAHAWIDYALAYA	AIDED
Kanpur	Kanpur	Pt. PRITHI NATH (P G) COLLEGE, KANPUR	AIDED
Kanpur	Kanpur	BRAHMANAND POST GRADUATE COLLEGE	AIDED
Kanpur	Kanpur	CHRIST CHURCH COLLEGE, KANPUR	AIDED
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University
			Semi-urban
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University
			Urban
			Rural
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University
			Urban
			Urban
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University
			Urban
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University
			Urban
			Chhatrapati Shahaji Maharaj Kanpur University

UNIVERSITIES & COLLEGES					
STATE	DISTRICT	NAME	CATEGORY	LOCATION	UNIVERSITY
Jhansi	Banda	ATARRA POST GRADUATE COLLEGE	AIDED	Semi-urban	Bundelkhand University
Jhansi	Banda	RAJADEVI DEGREE COLLEGE	PRIVATE	Urban	Bundelkhand University
Jhansi	Hamirpur	B.N.V. COLLEGE	AIDED	Semi-urban	Bundelkhand University
Jhansi	Lalitpur	BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF EDUCATION, MAHARRA, LALITPUR (UP)	PRIVATE	Rural	Bundelkhand University
Jhansi	Lalitpur	PAHALWAN GURUDEEN PRASIKSHAN MAHAVIDYALAYA	PRIVATE	Semi-urban	Bundelkhand University

महत्वपूर्ण

संख्या-1384 / सत्तर-3-2025-1684567

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- कुलसचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2025

विषय : प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2773/सत्तर-3-2024, दिनांक 24.10.2024, पत्र संख्या-3012/सत्तर-3-2024 दिनांक 21.11.2024, पत्र संख्या-3075/सत्तर-3-2024 दिनांक 28.11.2024, संख्या-653/सत्तर-3-2025-1684567, दिनांक 17.03.2025, पत्र संख्या-810/सत्तर-3-2025-1684567, दिनांक 31.03.2025 एवं पत्र संख्या-1177/सत्तर-3-2025-1684567, दिनांक 14.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2— इस संबंध में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) संचालन के संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

- BoS, एवं अकादमिक परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना।
- पत्र संख्या-810/सत्तर-3-2025 के साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय में सम्भावित महाविद्यालयों की सूची संलग्न की गयी थी। महाविद्यालयों की काउन्सलिंग के उपरांत निम्नवत प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायें :—

नाम	इच्छुक हैं या नहीं	यदि नहीं तो कारण

- विश्वविद्यालय परिसर में इन पाठ्यक्रमों की संचालन की स्थिति।
- विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वह इच्छुक महाविद्यालयों को शासनादेश संख्या-2422/सत्तर-3-2023 दिनांक 28.08.2023 के क्रम में नियमानुसार एवं ससमय

सम्बद्धता प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे की अकादमिक सत्र 2025-26 से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सके।

3— PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य को किसी भी अतिरिक्त जानकारी अथवा इसमें आने वाली समस्याओं में सहयोग हेतु क्रिस्प संस्था के स्टेट लीड प्रो0 बलराज चौहान (ई—मेल आई0डी0 balraj@crispindia.net) तथा AEDPs के सम्बन्ध में क्रिस्प के नोडल रिसोर्स पर्सन श्री चन्द्रमणि सिंह (मोबाइल नम्बर—8299810470, ई—मेल आई0डी0 chandramani@crispindia.net) से सम्पर्क किया जा सकता है।

Digitally signed by  
GIRIJESH गिरिजेश TYAGI  
Date: 16-06-2025  
13:01:03  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— प्रो0 बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ।
- 2— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उ0प्र0।
- 3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
- 5— प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

महत्वपूर्णसंख्या- 1177/सत्तर-3-2025-1684567

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2025

विषय : प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में AEDPs (Apprenticeship Embedded Degree Program) के 21 पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2773/सत्तर-3-2024, दिनांक 24.10.2024, पत्र संख्या-3012/सत्तर-3-2024 दिनांक 21.11.2024, पत्र संख्या-3075/सत्तर-3-2024 दिनांक 28.11.2024, संख्या-653/सत्तर-3-2025-1684567, दिनांक 17.03.2025 एवं पत्र संख्या-810/सत्तर-3-2025-1684567, दिनांक 31.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रदेश स्थिति उच्च शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2— अवगत कराना है कि किस्प द्वारा PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) में निम्नवत् पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :—

- बी0काम0 (बैंकिंग, वित्तीय सेवायें और बीमा)
- बी0काम0 (रिटेल, आपरेशन मैनेजमेण्ट)
- बी0काम0 (लॉजिस्टिक्स)
- बी0काम0 (ई-कामर्स, आपरेशन)
- बी0एस0सी0 (टूरिज्म एण्ड हास्पिटैलिटी ऑपरेशन)

3— सूच्य है कि उक्त 05 पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त 16 अन्य पाठ्यक्रम भी Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) में संचालित किये जा रहे हैं। इस प्रकार Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) के अन्तर्गत कुल 21 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :—

1. BBA in Retail Operations
2. B.Com in Retail Operations
3. BBA in Logistics
4. B.Com in Logistics

5. B.Com BFSI
6. B.Sc in Tourism & Hospitality Operations
7. B.Sc in Industrial Electronics
8. B.Sc in Digital Electronics
9. B.Com in E-commerce Operations
10. B.Com in Digital Marketing
11. B.Sc in Animation and VFX
12. B.Sc in Game Art and Design
13. BBA in Event Management
14. B.Sc in Digital Marketing
15. B.Sc- Pharmaceutical Manufacturing and Quality
16. B.Sc- Marketing & Sales (Pharma & Medtech)
17. B.Sc Healthcare Management
18. B.A. - Content and Creative Writing
19. B.Sc - Digital Marketing & Advertisement
20. B.Com -H R Operations
21. B.Sc - Media Communication

उक्त 21 पाठ्यक्रमों के Curriculum हेतु लिंक निम्नवत है :-

[https://drive.google.com/drive/folders/1ic7Rcf94y\\_8owyNYW57CSQ0-KyDRK5fN?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ic7Rcf94y_8owyNYW57CSQ0-KyDRK5fN?usp=sharing)

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विश्वविद्यालय नियमानुसार उक्त 21 कोर्सेस को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से पास कराके सम्बद्धता प्रदान करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि आगामी शैक्षणिक सत्र में उक्त कोर्सेस में इच्छुक महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जा सके एवं सफलतापूर्वक संचालन हो सके।

5— PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी अन्य को किसी भी अतिरिक्त जानकारी अथवा इसमें आने वाली समस्याओं में सहयोग हेतु क्रिस्प संस्था के स्टेट लीड प्रो० बलराज चौहान (ई-मेल आई०डी० balraj@crispindia.net) तथा AEDPs के सम्बन्ध में क्रिस्प के नोडल रिसोर्स पर्सन श्री चन्द्रमणि सिंह (मोबाइल नम्बर—8299810470, ई-मेल आई०डी० chandramani@crispindia.net) से सम्पर्क किया जा सकता है।

Digitally signed by  
GIRIJESH KUMAR TYAGI  
Date: 13-05-2025  
18:13:29  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ।
- 2— निजी सचिव, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उ०प्र०।
- 3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 5— प्रो० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० भायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा अनुभाग-3  
संख्या-14/सत्र-3-2025-1684567  
लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2025  
कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से क्रिस्प द्वारा PEHLE-UP (Project for Excellence in Higher learning education in UP) प्रोजेक्ट के अंगत संचालित Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDPs) के क्रियान्वयन हेतु श्री बी० एल० शर्मा, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय को एतदद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है:-

नाम	पदनाम	मोबाइल नंबर	ई-मेल आईडी०
श्री बी० एल० शर्मा	सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय	9455163232	blsarma.gdc@gmail.com

Digitally signed by  
GIRIJESH KUMAR TYAGI  
Date: 13-05-2025  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रो० बलराज चौहान, स्टेट लीड, क्रिस्प संस्था, लखनऊ।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- नामित सम्बन्धित अधिकारी।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
- प्रो० दिनेश चंद्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्धनगर।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

**File No.: MSDE-1/3/2024-AT**  
 (Computer No. 69444)  
 Government of India  
 Ministry of Skill Development & Entrepreneurship  
 Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 11<sup>th</sup> September, 2025

To

- 1) All Regional Central Apprenticeship Advisors (RDSDEs/ BoATS/ BoPT)
- 2) All State Apprenticeship Advisors
- 3) All Joint Apprenticeship Advisors

Subject: Gazette Notification on Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025-Regarding


Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the Gazette Notification (No. G.S.R. 610(E), dated 3rd September 2025) issued by this Ministry regarding amendments to the Apprenticeship Rules, 1992. The Rules comes in force effective from the date of publication of the Gazette notification ie. 11-09-2025.

2) It is requested to take note of the provisions contained in the notification and ensure necessary action and compliance within your jurisdiction.

This issues with the approval of the competent Authority.

Encl: As stated above

Yours faithfully,  
  
 N. Ramesh Babu

Director

Copy to:

- 1) PS to Hon'ble MoS, MSDE, New Delhi
- 2) Vice-Chairman, Central Apprenticeship Council
- 3) All members of Central Apprenticeship Council
- 4) Sr. PPS to Secretary, MSDE, New Delhi
- 5) PPS to JS(AT), MSDE, New Delhi
- 6) Director General, DGT, New Delhi
- 7) DDG Hqrs/ DDG (ER)/ DDG(SR), DGT
- 8) All State Principal Secretaries dealing with Skilling
- 9) All Employing Ministries/Departments / Central Public Sector Enterprises (CPSEs) / Central Public Sector Undertakings / State/UT Governments / State Public Sector Undertakings and private Industries including MSMEs
- 10) Industry Associations – CII, FICII, ASSOCHAM, PHD Chamber of Commerce and Industry, NASSCOM and others.
- 11) Economic Advisor, DPE, New Delhi – With a request to circulate the gazette notification to all the CPSEs
- 12) Director, TS-VII Section, Department of Higher Education, New Delhi
- 13) CEO, NSDC, New Delhi
- 14) Exec VP/ GM (dealing with Apprenticeship), New Delhi – Requested to upload this letter on the apprenticeship portal.
- 15) Guard file – 2025

\*\*\*



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266074  
CG-DL-E-11092025-266074

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 566]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

## कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 610(अ).— केंद्रीय सरकार, शिक्षुता अधनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के उपरांत शिक्षुता नियम, 1992 में इसके आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,-(i) उप-नियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"(1ख) 'डिग्री शिक्षुता' से अभिप्राय किसी ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें शिक्षुता पाठ्यक्रम का कोई समेकित घटक है;";

(ii) उप-नियम (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(6ख) 'संस्था' से अभिप्राय किसी ऐसे महाविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है;

(6ग) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्राय अधिनियम की शाखा 2 के उप-नियम (म्म) के अधीन निर्दिष्ट नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय बोर्ड से है;";

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(9क) 'शिक्षुता कर्मचारी' कोई भी व्यक्ति है जिसे अनुबंध श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया है, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019(2019 की 29) की शाखा 2 के उप-नियम (ग) में परिभाषित किया गया है या प्रवृत्त कोई अन्य विधि;

(9ख) "मानकनिःशक्तता वाला व्यक्ति" से अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की शाखा 2 के उप-नियम (र) में परिभाषित व्यक्ति से है;";

3. उक्त नियमों में, नियम 3में,--

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कोई व्यक्ति स्नातक या डिग्री या तकनीशियन या तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह अनुसूची 1क में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से किसी एक को संतुष्ट करता है:";

(ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) कोई भी डिग्री शिक्षु, तकनीकी संस्था या संस्था की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जहाँ ऐसा छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहा है, जब तक कि शिक्षुता सलाहकार या क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसा अनुमोदित न किया गया हो:";

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक व्यवसाय या विषय क्षेत्र के लिए, मानक निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए ऐसे व्यवसाय या विषय क्षेत्र की उपयुक्तता निर्दिष्ट की जाएगी और व्यवसाय या विषय क्षेत्र में मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) के उपबंधों के अधीन आरक्षित किए जाएंगे और यदि मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों से प्रशिक्षण स्थान भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मानकों वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकेंगे और उचित सरकार व्यवसायों या विषय क्षेत्रों के लिए मानक निःशक्तताओं के लिए आदेश जारी करेगी।"

5. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियोक्ता का दायित्व और व्यापार शिक्षु का दायित्व अनुसूची-V में निर्दिष्ट किया जाएगा, और स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं और डिग्री शिक्षु के संबंध में नियम और शर्तें अनुसूची VI में निर्दिष्ट की जाएंगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम और डिग्री शिक्षुता के छात्रों के मामले में, प्रायोगिक प्रशिक्षण की अवधि, जिसे वे शिक्षुता पाठ्यक्रम के अंग के रूप में ग्रहण करते हैं, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि होगी।"

7. उक्त नियमों में, नियम 7क में,---

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5क) मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे;";

(ii) उप-नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(14) न्यूनतम तीन वर्ष की डिग्री धारक या 10वीं कक्षा के पश्चात् तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक या 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात् दो वर्ष का डिप्लोमा धारक या स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पूरी करने के पश्चात् दो वर्ष के अध्ययन वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र धारक प्रत्येक शिक्षु जो वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुताप्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है, अनुसूची VI में निर्दिष्ट स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुता संविदा की नियमों और शर्तों का पालन करेगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 7ख में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक अधिष्ठान, संविदा कर्मचारियों सहित अधिष्ठान की कुल सशक्त बल का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के दायरे में शिक्षुओं को नियोजित करेगा, बशर्ते कि न्यूनतम 5 प्रतिशत कुल स्थान नवीन शिक्षुओं और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षुओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि नवीन शिक्षु और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षु के लिए निर्धारित स्थान प्रशिक्षण के लिए भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान शिक्षुता सलाहकार\*.\* की अनुमति से शिक्षुओं की अन्य श्रेणियों द्वारा भरे जा सकेंगे।"

9. उक्त नियमों में, नियम 7ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

7घ. प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल.- (1) दो शिक्षुता प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होगा: बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा जहां पिछला शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम की शाखा 11 और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियोक्ता के भाग में विफलता के कारण समाप्त किया गया हो।

(2) जहां किसी शिक्षु ने स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाई या स्थानांतरण, परिवहन या वृत्तिका परिवर्तन या भाषा अवरोध के कारण पिछला शिक्षुता संविदा समाप्त किया है, वहां शिक्षु द्वारा समान नियोक्ता या किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने से पहले तीन मास की प्रतीक्षा अवधि लागू होगी और महिलाओं के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला वृत्तिका का व्यय केवल प्रथम-बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा।

(5) जहां शिक्षुता की संविदा शिक्षु के भाग में संविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण समाप्त किया जाता है, वहां शिक्षु अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने का हकदार नहीं होगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी। शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

#### सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास
3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।"

11. उक्त नियमों में, नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप-1 के अनुसार किया गया शिक्षुता का संविदा पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर अग्रेषित किया जाएगा और डिग्री शिक्षु और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम छात्र के लिए, प्रारूप-1 के अनुसार संविदा संस्थान, शिक्षु और नियोक्ता के मध्य की जाएगी और पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्रत्येक नियोक्ता अपने अधिष्ठान में नियोजित डिग्री, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षाओं द्वारा किए गए कार्य और ग्रहण किए गए प्रशिक्षण का प्रत्येक तिमाही के लिए रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत में अनुसूची III में निर्दिष्ट फॉर्म शिक्षुता 3 में एक रिपोर्ट संबंधित उप क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार को या जैसा भी मामला हो, भेजेगा।"

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-1क में, अनुक्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4. डिग्री शिक्षु	"4. यथा विहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।"
-------------------	---

13. उक्त नियमों में, अनुसूची-III में, प्रारूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### "प्रारूप-1

वयस्क या अवयस्क शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की आदर्श संविदा

#### I. शिक्षु के मूल विवरण

1. शिक्षु का नाम:

शिक्षु का फोटो

2. पिता/ माता/ पति या पत्नी का नाम:

3. विधिक संरक्षक का नाम \*(अवयस्क के मामले में):

\*अवयस्क शिक्षु वह है जिसने शिक्षु की आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं

4. लिंग: महिला/ पुरुष/ अन्य

5. जन्म तिथि: दिन/मास/वर्ष

6. उच्चतम शैक्षिक योग्यता:

7. क्या दिव्यांगजन से संबंधित है\*(हाँ/नहीं)\*

8.(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक से संबंधित है\*(हाँ/नहीं)\*

(ख). कोटि का नाम

9. शिक्षु का आधार नंबर:

10. संविदा पंजीकरण संख्या:

11. पता:

12. मोबाइल नंबर:

13. ईमेल:

#### II. शिक्षु के शैक्षिक विवरण

14. पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/ डिप्लोमा/ डिग्री का नाम:

15. संस्था का नाम और पता:

16. पंजीकरण/ नामांकन संख्या: 17. पूर्णता की स्थिति: \*(पूर्ण/अध्ययनरत)\*

18. उत्तीर्ण होने/ अपेक्षित पूर्णता का मास और वर्ष: \*मास/वर्ष\*

#### III. अधिष्ठान के विवरण

19. अधिष्ठान का पंजीकृत नाम और पता:

20. संपर्क व्यक्ति: 21. संपर्क नंबर: 22. ईमेल:

23. (क) क्या अधिष्ठान किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है \*हाँ/नहीं\*

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

IV. संस्था विवरण (केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम / डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

24. संस्था संपर्क व्यक्ति:

25. संपर्क नंबर:

26. ईमेल:

27. (क) क्या संस्था किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है: हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

V. शिक्षुताप्रशिक्षण विवरण

28. व्यवसाय/पाठ्यक्रम का नाम:

29. व्यवसाय/पाठ्यक्रम कोड:

30. शिक्षु क्रमांक:

31. प्रशिक्षण अवधि:

32. प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

33. प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

34. के रूप में नामांकित:\*(शिक्षु की अनुप्रयोज्यकोटि)

35. शिक्षुताप्रशिक्षण स्थान/अधिष्ठान का नाम और पता:

36. बेसिक प्रशिक्षण विवरण (यदि लागू हो):

(क) बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता का नाम:

(ख) प्रशिक्षण केंद्र का नाम और पता:

(ग) संपर्क नंबर:

(घ) (i) प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\* समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

(ii) प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\* समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

VI. वृत्तिका विवरण

37.

वर्ष	अधिष्ठान का अंश	सरकारी अंश	कुल मासिक वृत्तिका
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

टिप्पण: मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

VII. अतिरिक्त सूचना

38. क्या निम्नलिखित लागू हैं:

(क) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/ईडीपी: (हाँ/नहीं)

(ख) दूरस्थ कार्य: (हाँ/नहीं)

(ग) समुद्रपार में अन्तःकार्यप्रशिक्षण: (हाँ/नहीं)

(घ) नियोक्ता/ संस्था की ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, अभिकरण का नाम

### VIII. घोषणा

39. हम, नियोक्ता, शिक्षु/ संरक्षक और संस्थान, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करते हैं कि हमने शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) और दायित्वों सहित शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के संबंध में शिक्षुता नियम, 1992 को पढ़ लिया है और उनके अधीन किए गए सभी उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं। नियोक्ता, शिक्षु/संरक्षक और संस्था में से किसी के भी द्वारा चूक की स्थिति में, हम शिक्षुता नियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्ष को प्रतिकर करने के लिए सहमत हैं (शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के परिशिष्ट, खंड IX में शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान देखे जा सकते हैं)।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

शिक्षु के हस्ताक्षर

संस्था के हस्ताक्षर

(केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/ डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

संरक्षक के हस्ताक्षर\*

\*अवयस्क शिक्षुओं के मामले में\*

### IX. संविदा अनुमोदन और शिक्षुता सलाहकार विवरण

40. संविदा पंजीकरण की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

41. शिक्षुता सलाहकार का नाम और पता:

42. संविदा निष्पादन की तारीख कोशिक्षु की आयु:

43. संपर्क नंबर:

44. ईमेल:

पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर (शिक्षुता सलाहकार)

### X. शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा का अनुलग्न

शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा से संबंधित शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:---

(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी और शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर नियम 11 के उप-नियम(1) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) वर्तमान में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वृत्तिका राशि नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट है, अर्थात्:---

#### सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास

3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षा या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षा या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक यामध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षा या डिग्री शिक्षा या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।

मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में और 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(4) शिक्षु, आचरण और अनुशासन और सुरक्षा के सभी मामलों में अधिष्ठान के नियमों और विनियमों का पालन करेगा और अधिष्ठान में नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।

(5) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय III, IV और V के प्रावधान, शिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हों और जब कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हों, वहां खान अधिनियम, 1953 (1952 का 35) के अध्याय V के प्रावधान शिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित हों।

(6) कार्यस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के दौरान एक शिक्षु के दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, वशर्ते कि प्रशिक्षण अवधि, यदि निर्धारित है, का अनुपालन किया जाए और शिक्षु ऐसी छुट्टियों और अवकाशों का हकदार होगा जैसा कि उस अधिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(7) यदि किसी शिक्षु को उसके शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगती है, तो उसका नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबंधों के अनुसार।

(8) शिक्षु उन नियमों और विनियमों (संगत कोटि के कर्मचारियों पर लागू) के अधीन होगा जिस अधिष्ठान में शिक्षु प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(9) अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु होगा न कि श्रमिक और इस प्रकार श्रम के संबंध में किसी भी विधि के प्रावधान ऐसे शिक्षु पर लागू नहीं होंगे या उससे संबंधित नहीं होंगे।

(10) नियोक्ता अपने अधिष्ठान में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षु को शिक्षुता प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार की अनुमति से उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(11) नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर शिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे।

(12) किसी विशेष मास के लिए वृत्तिका का भुगतान अगले मास की दसवीं तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।

(13) वृत्तिका में से उस अवधि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसके दौरान कोई शिक्षु आकस्मिक छुट्टी या चिकित्सकीय छुट्टी पर रहता है और शिक्षुता पोर्टल पर वृत्तिका भुगतान मॉड्यूल के लिए अधिष्ठान को मास के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को देय अनधिकृत छुट्टियों और वृत्तिका राशि को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।

(14) जहां शिक्षुता की संविदा किसी नियोक्ता के भाग में उसकी नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के माध्यम से समाप्त किया जाता है, वहां ऐसा नियोक्ता इन नियमों के अधीन शिक्षु को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(15) प्रत्येक शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रगति का आकलन नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और प्रत्येक शिक्षु जो नियोक्ता की संतुष्टि पर अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे उस नियोक्ता द्वारा दक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जो संबंधित पुरस्कार देने वाली संस्था द्वारा आगे के आकलन या प्रमाणन का आधार होगा।

(16) डिग्री शिक्षुता की शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(i) नियोक्ता संविदा के अनुसार और अधिनियम के समग्र उपवंधों के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करेगा;

(ii) अकादमिक संस्था उद्योग भागीदार या नियोक्ता के साथ साझेदारी में किए गए शिक्षुता घटक के प्रबंधन सहित अनुमोदित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करेगा;

(iii) पोर्टल पर शिक्षुता संविदाओं और अन्य संबंधित अनुपालन का मानचित्रण और रिपोर्टिंग शैक्षणिक संस्था या उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण के साथ निहित होगा;

(iv) नियोक्ता शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के मध्य निर्धारित शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने की अनुमति देगा, चाहे वह अन्तःकार्य प्रशिक्षण परिसर में हो या शैक्षणिक संस्था परिसर में, जैसा भी मामला हो।

(17) शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए किसी अनुप्रयोज्य सरकारी योजना के मामले में, अधिष्ठान या शिक्षु या संरक्षक (अवयस्क शिक्षु के मामले में) यह वारंट और पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उनसे संबंधित योजना दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है, समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, और इन दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा और समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।";

14. उक्त नियमों में, अनुसूची-IV में, पैरा2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. डिग्री और स्नातक शिक्षुओं के मामले में:

अध्ययन या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के उचित शाखा में डिग्री धारक होना चाहिए या भारत सरकार या अखिल भारतीय परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।"

15. उक्त नियमों में, अनुसूची-V में, पैरा1 के अंतर्गत, नियोक्ता के दायित्वों (वयस्क और अवयस्क दोनों व्यापार शिक्षुओं के मामले में) से संबंधित,---

(i) उप-पैरा (2) में, उप-नियम (क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) नियोक्ता वैसिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या प्रायोगिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या दोनों को ऑनलाइन या आभासी या इलेक्ट्रॉनिक या मिश्रित मोड के माध्यम से प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, केन्द्रीय शिक्षुतापरिषद के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नियोक्ता शिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण में केवल सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच नियोजित करेगा और इस समय में किसी भी छूट के लिए शिक्षुता सलाहकार द्वारा, मामला-दर-मामला के आधार पर, अनुमोदित किया जाएगा, अधिनियम की शाखा 15 के अधीन प्रदान किए गए कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टियाँ और अवकाश;";

(ii) उप-पैरा (5) में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) एक अधिष्ठान प्रायोगिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल एक वयस्कशिक्षु को देश के भीतर या विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति (प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यस्थान के अतिरिक्त) में तैनात कर सकता है और कोई अवयस्कशिक्षु तैनात नहीं किया जाएगा: वशर्ते कि अधिष्ठान शिक्षु को अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा ---

(i) देश के भीतर किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और अतिरिक्त प्रतिकर तैनाती की ऐसी अवधि के लिए न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि, आना-जाना यात्रा लागत, आवास, भोजन, अस्पताल में भर्ती होने की लागत और बीमा होगी।

(ii) विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के कम से कम दोगुनी अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और

अधिष्ठान वीजा, यात्रा, चिकित्सा परीक्षण, अस्पताल में भर्ती, बीमा, आना-जाना यात्रा लागत, रहने और भोजन की लागत वहन करेगा;

(iii) अधिष्ठान द्वारा किसी भी उल्लंघन का निपटान संबंधित देश के स्थानीय श्रम कार्यालय द्वारा किया जाएगा;

(iv) शिक्षुता सलाहकार देश के भीतर या विदेशों में शिक्षु की तैनाती को मामला-दर-मामला के आधार पर अनुसूचित करेगा;

(v) नियोक्ता अकेले ग्राहक की अवस्थिति में प्रशिक्षण की अवधि के लिए शिक्षु को वृत्तिका का भुगतान करेगा और वृत्तिका की कोई लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।"

16. उक्त नियमों में, अनुसूची- VI में,--

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुता अनुबंध की नियम और शर्तें";

(ii) पैरा (5) में, उप-पैरा (i) और (ii) में, "क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार" शब्दों के पश्चात्, क्रमशः "या शिक्षुता सलाहकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) पैरा (6) में, उप-पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) एक स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु और डिग्री शिक्षु उस अधिष्ठान विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुसार कार्य करेगा जिसमें वह प्रशिक्षण के लिए संलग्न है।";

(iv) पैरा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) संस्था की जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य एक शिक्षुता अनुबंध करना;

(ii) पोर्टल साइट पर संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार या जैसा भी मामला हो, प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(iv) संबंधित शिक्षुता सलाहकार को अधिष्ठान की किसी भी यात्रा के बारे में सूचित रखना।"

[फा. सं. एमएसडीई-1/3/2024-एटी]

श्रीशैल माले, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** शिक्षुता नियम, 1992, तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 1992 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2025

**G.S.R. 610(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—
  - (i) after clause (1A), the following clause shall be inserted, namely:—
 

“(1B) ‘degree apprenticeship’ means a course having apprenticeship as an integrated component of the curriculum;”;
  - (ii) after clause (6A), the following clauses shall be inserted, namely:—
 

“(6B) ‘Institution’ means a college imparting a degree or diploma course approved by the University or Board;

(6C) “Regional Centre” means Regional Board at locations other than the cities specified under clause (mm) of section 2 of the Act;”;
  - (iii) after clause (9), the following clauses shall be inserted, namely:—
 

“(9A) ‘contractual staff’ is any person employed as a contract labour as defined in clause (g) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or any other law for the time being in force;

(9B) “person with benchmark disability” means a person as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);”;
3. In the said rules, in rule 3,—
  - (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(2) A person shall be eligible for being engaged as a graduate or degree or technician or technician vocational apprentice if he satisfies one of the minimum educational qualifications specified in Schedule IA:”;
  - (ii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 

“(ba) no degree apprentice shall be eligible for being engaged as an apprentice under the Act after passing the final examination of the technical institution or institution wherein such student is undergoing the course unless so approved by the Apprenticeship Adviser or Regional Central Apprenticeship Adviser as the case may be;”;
4. In the said rules, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 

“(3) For every trade or subject field, suitability of such trade or subject field for person with benchmark disability shall be specified and the training places for persons with benchmark disabilities in trade or subject field shall be reserved under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and if the training places cannot be filled from persons with benchmark disabilities, then the training places so lying unfilled may be filled by persons having minimum standards of physical fitness specified in Schedule II and the appropriate Government shall issue orders for benchmark disabilities for trades or subject fields.”
5. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(2) The obligation of the employer and that of the trade apprentice shall be as specified in Schedule-V, and the terms and conditions in respect of graduate, technician, technician (vocational) apprentices and degree apprentice shall be as specified in Schedule VI.”
6. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (4), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
 

“(b) In the case of Sandwich Course and Degree Apprenticeship students, the period of practical training, they undergo as part of apprenticeship course of studies shall be the period of apprenticeship training.”
7. In the said rules, in rule 7A,—
  - (i) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5A) The training places for the persons with benchmark disabilities shall be reserved by the employer in every optional trade in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 5.”;

(ii) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(14) Every apprentice possessing a degree of minimum three years or a diploma of three years after 10th class or diploma of two years after 12th pass or a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade shall follow the terms and conditions of contract of apprenticeship for graduate, Technician, Technician (vocational) and degree apprentices specified in Schedule VI.”.

8. In the said rules, in rule 7B, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:-

“(3) Within a financial year, each establishment shall engage apprentices in a band of 2.5 per cent. to 15 per cent. of the total strength of the establishment including contractual staff, subject to a minimum of 5 per cent. of the total to be reserved for fresher apprentices and skill certificate holder apprentices and if the prescribed training places for fresher apprentice and skill certificate holder apprentice cannot be filled, then the training places so lying unfilled may be filled by other categories of apprentices with the approval of the apprenticeship adviser.”.

9. In the said rules, after rule 7C, the following rule shall be inserted, namely:-

**“7D. Minimum gap between trainings.—** (1) There shall be minimum one year gap between two apprenticeship training: Provided that the previous training is completed and no gap shall be required in the case of termination of previous apprenticeship training due to failure on the part of the employer provided under section 11 of the Act and sub-rule (2) of rule 6.

(2) Where an apprentice has terminated a previous apprenticeship contract due to health or financial hardship or relocation, transportation or career changes or language barrier, the waiting period of three month shall apply before the apprentice shall enter into another contract of apprenticeship with the same employer or any other employer and there shall be no waiting period for women.

(3) A person may undergo maximum two apprenticeship training and the second training shall not be in the same trade.

(4) The cost of stipend borne by the Central Government and shall be restricted to the first-time training only.

(5) Where the contract of apprenticeship is terminated for the failure on the part of the apprentice to carry out the terms of contract, the apprentice shall not be entitled to enter into another contract of Apprenticeship under the Act with any other employer.”.

10. In the said rules, in rule 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum. The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be the following, namely:-

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Category</b>	<b>Prescribed minimum amount of stipend</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	School pass-outs (class 5 <sup>th</sup> – class 9 <sup>th</sup> )	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 <sup>th</sup> )	Rs. 8,200 per month
3.	School pass-outs (class 12 <sup>th</sup> )	Rs. 9,600 per month

4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

11. In the said rules, in rule 14,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A contract of apprenticeship as entered between an apprentice and the employer as per Format-1 specified in Schedule III shall be forwarded on the portal site by the employer for registration and for degree apprentice and sandwich course student, the contract as per Format-I will be entered between Institution, apprentice and employer and shall be forwarded on the portal-site by the employer for registration.”;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall substituted, namely:—

(4) Every employer shall maintain a record of the work done and training undertaken by the degree, graduate, technician and technician (vocational) apprentices engaged in his establishment, for each quarter and at the end of each quarter shall send a report in Form Apprenticeship 3 specified in Schedule III to the concerned Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser or as the case may be.”.

12. In the said rules, in SCHEDULE-IA, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“4. Degree apprentices	As prescribed by the All India Council for Technical Education or University Grants Commission.”.
------------------------	---

13. In the said rules, in SCHEDULE-III, for the FORMAT-1, the following FORMAT-1 shall be substituted, namely:-

#### “FORMAT-1

##### Model Contract of Apprenticeship Training for Major or Minor\* Apprentices

#### I. APPRENTICE BASIC DETAILS

1.Apprentice Name:

2.Name of Father/ Mother/ Spouse:


3.Name of Legal Guardian (*in case of Minor\**):

*\*Minor apprentice is one who has not completed 18 years of age of the Apprentice*

4.Gender Female/ Male/ Other

DD/MM/YYYY

5. Date of Birth:



6.Highest Education Qualification:

7.Whether belongs to PwD(Yes/No)

8.(a).Whether belongs to SC/ST/OBC/ Minority(Yes/No)

(b). Name of the Category

9. Apprentice Aadhaar Number:

10. Contract Registration Number:

11. Address:

12.Mobile Number:

13.Email:

#### II. APPRENTICE EDUCATION DETAILS

14. Name of the Course/ Trade/ Diploma/ Degree:

15. Name and Address of the Institution:

16. Registration/ Enrolment Number: 17. Status of Completion: (*Completed/ Pursuing*)18. Month & Year of Passing/ Expected Completion: *MM/YYYY***III. ESTABLISHMENT DETAILS**

19. Registered Name and Address of the Establishment:

20. Contact Person: 21. Contact Number: 22. Email:

23.(a) Whether the establishment is opting for the benefits under any Government Scheme Yes/No

(b) If Yes, name of the Scheme:

**IV. INSTITUTION DETAILS (Applicable for sandwich course/ degree apprentices only)**

24. Institution Contact Person: 25. Contact Number: 26. Email:

27.(a) Whether the Institution is opting for the benefits under any Government Scheme: Yes/No

(b) If yes, name of the Scheme:

**V. APPRENTICESHIP TRAINING DETAILS**

28. Trade/Course Name: 29. Trade/Course Code: 30. Apprentice No.:

31. Training Duration: 32. Training Start Date: *DD/MM/YYYY* 33. Training End Date: *DD/MM/YYYY*34. Enrolled as: (*applicable category of apprentice*)

35. Name and Address of Apprenticeship Training Location/ Establishment:

36. Basic Training Details (if applicable):

(a) Name of the Basic Training Provider:

(b) Training Centre Name and Address:

(c) Contact Number:

(d) (i) Start Date: *DD/MM/YYYY* End Date: *DD/MM/YYYY*(ii) Start Date: *DD/MM/YYYY* End Date: *DD/MM/YYYY***VI. STIPEND DETAILS**

37.

Year	Establishment share	Government share	Total monthly stipend
1 <sup>st</sup>			
2 <sup>nd</sup>			
3 <sup>rd</sup>			

Note: The Government share of monthly stipend, if any, shall be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

**VII. ADDITIONAL INFORMATION**

38. Whether the following are applicable:

(a) Sandwich Course/ AEDP: (Yes/ No)

(b) Remote Work: (Yes/ No)

(c) Overseas on-the-job training: (Yes/No)

(d) Any authorised agency working on behalf of the employer/ Institution (Yes/No). If Yes, Name of the agency

### VIII. DECLARATION

39. We, the Employer, Apprentice/Guardian and Institution solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and the Apprenticeship Rules, 1992 regarding the Contract of Apprenticeship Training including obligations and agree to abide by all the provisions made thereunder. In case of default by any of the Employer, Apprentice/Guardian and Institution, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Apprenticeship Rules may be seen in the Enclosure to the Contract of Apprenticeship Training, Section IX).

*Signature of the Employer*

*Signature of Apprentice*

*Signature of Institution*

(Applicable for Sandwich Course/  
Degree Apprentices only)

*Signature of Guardian\**

\*in case of Minor Apprentices

### IX. CONTRACT APPROVAL AND APPRENTICESHIP ADVISER DETAILS

40. Contract Registration Date: *DD/MM/YYYY*

41. Name and Address of the Apprenticeship Adviser:

42. Age of Apprentice on the Date of Execution of Contract:

43. Contact Number:

44. Email:

*Signature and Stamp of the  
Registering Authority  
(Apprenticeship Adviser)*

### X. ENCLOSURE TO CONTRACT OF APPRENTICESHIP TRAINING

The main provisions of the apprenticeship rules relating to the Contract of Apprenticeship training shall be the following, namely:—

- (1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum and the minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as specified in the Table under sub-rule(1) of rule 11.
- (2) Presently, the prescribed minimum amount of monthly stipend for the various categories as specified in the Table below, namely:—

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Category</b>	<b>Prescribed minimum amount of stipend</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	School pass-outs (class 5 <sup>th</sup> —class 9 <sup>th</sup> )	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 <sup>th</sup> )	Rs. 8,200 per month

3.	School pass-outs (class 12 <sup>th</sup> )	Rs. 9,600 per month
4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

The Government share of monthly stipend, if any, will be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

- (3) During the second year of apprenticeship training, there shall be an increase of ten per cent. in the prescribed minimum stipend amount and further 15 per cent. increase in the prescribed minimum stipend amount during the third year of apprenticeship training.
- (4) The apprentice shall abide by the rules and regulations of the establishment in all matters of conduct and discipline and safety and carry out all lawful orders of the employer and superiors in the establishment.
- (5) The provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1953 (35 of 1952) shall apply in relation to the health and safety of the apprentices as if they were employed in the mine.
- (6) The daily and weekly hours of work of an apprentice while undergoing practical training in a workplace shall be determined by the employer subject to the compliance with the training duration, if prescribed and apprentice shall be entitled to such leave and holidays as are observed in the establishment in which he is undergoing training.
- (7) If personal injury is caused to an apprentice, by accident arising out of and in the course of his training as an apprentice, his employer shall be liable to pay compensation which shall be determined and paid, so far as may be, in accordance with the provisions of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).
- (8) The apprentice shall be governed by the rules and regulations (applicable to employees of the corresponding category) in the establishment in which the apprentice is undergoing training.
- (9) Every apprentice undergoing apprenticeship training in an establishment shall be a trainee and not a worker and as such the provisions of any law with respect to labour shall not apply to or in relation to such apprentice.
- (10) The employer shall make suitable arrangements in his establishment for imparting a course of apprenticeship training to the apprentice in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder with the approval of the Central or State Apprenticeship Advisor.
- (11) It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment.
- (12) The stipend for a particular month shall be paid on or before the tenth day of the following month.
- (13) No deduction shall be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave and the stipend payment module on the apprenticeship portal shall require the establishment to update the unauthorised leaves and stipend amount payable to each candidate for the month.
- (14) Where the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation under these rules.
- (15) The progress in apprenticeship training of every apprentice shall be assessed by the employer from time to time and every apprentice who completes his apprenticeship training to the satisfaction of the employer shall be granted a certificate of proficiency by that employer which shall be the basis for further assessment or certification by the concerned awarding body.
- (16) The conditions for the degree apprenticeship shall be the following, namely:—
  - (i) the employer shall provide the apprenticeship training as per the approved program in accordance with the contract and within the overall provisions of the Act;

(ii) the academic Institution shall deliver the course as per the approved course curriculum including the management of the apprenticeship component undertaken in partnership with the industry partner or employer;

(iii) mapping and reporting apprenticeship contracts and other related compliance on the portal shall lie with the academic institution or any authorised agency working on its behalf;

(iv) the employer shall permit apprentices to attend scheduled academic sessions in between the training period either at the on-the-job training premises or at the academic institution campus as the case may be.

(17) In case of any applicable Government scheme for apprenticeship promotion, the establishment or apprentice or guardian (in case of minor apprentice) warrant and confirm that they have studied, understood, and agree to comply with the scheme guidelines pertaining to them, and these Guidelines shall be made available in the public domain and may be updated from time to time.”;

14. In the said rules, in SCHEDULE-IV, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. In the case of Degree and Graduate Apprentices:

Must hold a degree in appropriate branch of study or engineering or technology or equivalent qualification as recognised by the Government of India or the All India Council or University Grant Commission.”.

15. In the said rules, in SCHEDULE-V, under paragraph I, relating to Obligations of Employer (both in the case of Major and Minor Trade Apprentices),—

(i) in sub-paragraph (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(b) the employer shall make suitable arrangements for imparting a course of basic training or course of practical training or both through online or virtual or electronic or blended mode in accordance with the syllabus approved by the Central Government in consultation with Central Apprenticeship Council for designated trade and for the optional trade, the syllabus shall be approved by the National Council. The employer shall engage apprentices in such training only between the hours of 8.00 am and 6.00 pm and any relaxation to this time shall be approved by the Apprenticeship Adviser, on case-to-case basis, the hours of work, overtime, leave and holidays provided under section 15 of the Act.”;

(ii) in sub-paragraph (5), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) An establishment may deploy only a major apprentice during the practical training period in a client location (other than the workplace of practical training) within the country or abroad and no minor apprentice shall be deployed: Provided that the establishment shall pay to apprentice additional compensation —

(i) for a client location within the country, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay additional compensation specified in sub-rule (1) of rule 11 and the additional compensation shall be at least the prescribed minimum amount of stipend for such period of deployment, to and fro travel cost, accommodation, food, hospitalisation cost and insurance.

(ii) for a client location abroad, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay an additional compensation of atleast twice the prescribed minimum amount of stipend specified in sub-rule (1) of rule 11 and the establishment shall bear the cost of visa, travel, medical tests, hospitalisation, insurance, cost of travel to and fro, stay and food;

(iii) any violation by the establishment shall be dealt by the local labour office of the country concerned;

(iv) the apprenticeship adviser shall approve the deployment of apprentice within the country or abroad on case-to-case basis;

(v) the employer alone shall pay the stipend to the apprentice for the period of training in a client location and no cost of stipend shall be borne by the Central Government.”.

16. In the said rules, in the SCHEDULE-VI,—

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Terms and conditions of the contract of apprenticeship for graduate, technician, technician (vocational) and degree apprentices”;

(ii) in paragraph (5), in sub-paragraphs (i) and (ii), after the words “Regional Central Apprenticeship Adviser”, the words “or Apprenticeship Adviser” shall respectively be inserted.

(iii) in paragraph (6), for sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(i) A Graduate, Technician, Technician (Vocational) Apprentice and Degree Apprentice shall work to the normal hours of work of the department in the establishment to which he is attached for training.”;

(iv) after paragraph (6), the following paragraph shall be inserted, namely:-

“(7) The responsibility of the Institution shall be the following, namely:-

- (i) to enter into a contract of apprenticeship between the apprentice and the employer;
- (ii) to ensure related compliance on the portal site;
- (iii) management, monitoring and evaluation as per the guidelines of the All India Council of Technical Education and University Grants Commission or as the case may be;
- (iv) keep the apprenticeship adviser concerned informed about any visit to the establishment.”.

[F.No. MSDE-1/3/2024-AT]

SHREESHAIL MALGE, Jt. Secy.

**Note:** The Apprenticeship Rules, 1992 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 1<sup>st</sup> August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 254 (E), dated the 19<sup>th</sup> April, 2024.

# Standard Operating Procedure (SoP) for Implementation of the Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)

*(As per UGC Guidelines for Higher Educational Institutions to Offer AEDP, March 2025)*

---

## Phase 1 – Initiation

### 1.1 Formation of the Apprenticeship Implementation Committee (AIC)

Each University Registrar shall constitute an **Apprenticeship Implementation Committee (AIC)** under the overall supervision of the University administration to oversee the implementation of the AEDP. An AEDP Implementation Team shall be formed, and an official Office Order shall be issued listing the nominated members, their designations, contact details, and assigned responsibilities.

The broader roles may include:

- University Campus AEDP In-Charge
- Board of Studies (BoS) Approval Coordinator
- Apprenticeship Officer
- Industry Liaison Officer
- Grievance Redressal Officer
- Advertisement and Outreach Officer
- PoSH and Safety Officer

The Office Order shall be uploaded on the official University website. Regular meetings shall be conducted to review AEDP-related activities, and the minutes shall be documented, shared with the Registrar, and forwarded to the State Department for progress tracking. Half yearly meetings shall be organised at state level to review the progress.

### 1.2 Eligibility Verification

As per the **UGC Guidelines for Implementation of AEDP (March 2025)**, the AIC shall verify the eligibility of the **University Campus and its affiliated colleges** to offer AEDP courses.

The Committee shall prepare and maintain a list of all affiliated colleges found eligible to commence AEDP programmes.

A comprehensive list of eligible colleges must be prepared and documented for subsequent academic and administrative actions. The eligible colleges then shall be counselled at university further to opt the best suitable program for their institutions. This shall also include the scope of apprenticeship placement.

### 1.3 Briefing to the Academic Council

The AIC shall brief the **Academic Council** on the requirements for declaring a programme as an AEDP. All essential check-points—such as **duration of apprenticeship, credit allocation for apprenticeship, and evaluation mechanisms**—must be outlined and documented for Council consideration. The documentation shall be updated college wise and a copy of the same shall be shared with the state for record purposes.

## Phase 2 – Academic and Legal Enablement

### 2.1 Amendment of Ordinances / By-Laws

The University shall propose amendments to its **Academic Ordinance** to incorporate AEDP-specific provisions. The following sections of the **UGC Guidelines for Higher Educational Institutions to Offer AEDP, March 2025**, should be duly addressed:

- Section 7 – *Implementation*
- Section 8 – *AEDP Duration*
- Section 9 – *Credit Mechanism*
- Section 11 – *Preparation of Apprenticeship Plan*
- Section 12 – *Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP*

The University must also frame provisions for handling cases where a student **fails to complete the apprenticeship component** during any semester and define how such students will complete the requirement to qualify for the degree.

**Deliverable:** Copy of the approved Ordinance and all related annexures.

### 2.2 Publication of University AEDP Policy Note

Following approvals by the Academic and Executive Councils, each University shall publish an official AEDP Policy Note on its website.

This document will serve as the guiding framework for University departments and affiliated institutions during implementation.

## Phase 3 – Programme Design and Host Seat Preparation

### 3.1 Curriculum Preparation

Each academic department shall design its **AEDP curriculum** in line with the UGC Guidelines. The AIC shall conduct meetings with **Heads of Departments (HoDs)** to brief them about AEDP implementation.

As per **Section 7 – Implementation (subclause vii):**

“Admission to AEDP shall be the same as admission to regular UG programmes.”

During curriculum finalization, the AIC shall decide the admission criteria for each programme in consultation with the BoS. Departments may:

- Adopt any of the **21 model curriculums** shared by CRISP and tailor them as per institutional requirements, or
- Identify an existing BoS-approved course and develop its **AEDP counterpart** in alignment with UGC guidelines.

Under **Section 7 – Implementation (subclause vi):** “The HEIs may convert their already running programmes into the AEDP and take admissions accordingly.”

### 3.2 Mapping of Apprenticeship Semesters

Following curriculum design, the **apprenticeship semesters** must be mapped in compliance with:

- **Section 8 – AEDP Duration**
- **Section 11 – Preparation of Apprenticeship Plan**
- **Section 12 – Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP**

The finalized curriculum shall then be submitted to the **BoS** for approval.

### 3.3 Drafting the Apprenticeship Plan

Each Department Head shall:

- Identify **industry partners** relevant to the designed curriculum.
- Conduct consultations with industry heads.
- Jointly draft an **Apprenticeship Plan** outlining:
  - Job roles of apprentices
  - Expected skill outcomes
  - Attendance norms and monitoring mechanism
  - Evaluation methodology

The plan must adhere to **Section 11 – Preparation of Apprenticeship Plan** and **Section 12 – Assessment Methodology** of the UGC Guidelines. A **signed plan** from both the Department Head and the Industry Partner is mandatory.

### 3.4 Drafting of MoU

With the AIC's support, each Department Head shall draft an **MoU** in consensus with the Industry Partner. This MoU shall form the base of the **mandatory tripartite agreement** prescribed under the UGC Guidelines and may allow minor variations between industries.

### 3.5 Stipend Route and Modus Operandi

The AIC shall decide the **stipend disbursal mechanism** in accordance with the **Gazette of India CG-DL-E-11092025-266074, dated September 8, 2025**.

- **Direct Tripartite Route:** Industry pays stipend directly to students through the tripartite agreement.
- **NATS/BOAT Route:** If using NATS through BOAT, part of the stipend will be paid via DBT by the Government. The remaining payment method must be defined by the HEI.

### 3.6 Safety Readiness and PoSH Vetting

Each University AIC must appoint a **Safety Officer**. The Safety Officer shall ensure that each department drafts a **safety protocol** aligned with the nature of associated industries.

All industry partners and students must adhere strictly to these safety rules to prevent hazardous exposure. Additionally, compliance with the **Prevention of Sexual Harassment (PoSH)** framework is mandatory. It is recommended to include **PoSH awareness** as part of

the pre-apprenticeship semester curriculum. Each department must submit a **signed safety checklist**.

## Phase 4 – UGC Guidelines Compliance Confirmation

The University Registrar shall email or upload all essential documents to the UGC to seek approval. The communication must include:

- Proof of eligibility (as per **Section 6 – Eligibility of HEI**)
- BoS approval copies
- Approved Apprenticeship Deployment and Evaluation Plan
- Tripartite Agreement with Industry or MoU with BOAT
- NCRC Credit Mapping

### For Colleges:

Colleges must submit to the UGC:

- NOC from UPHED
- Affiliation letter from the respective University
- Copy of approved curriculum from BoS
- Eligibility criteria as per UGC Guidelines
- Apprenticeship Deployment and Evaluation Plan (approved by the University)
- Tripartite Agreement or MoU with BOAT

### Note:

*No HEI shall admit students before submitting these documents and receiving formal UGC confirmation.*

---

## Phase 5 – Admissions and Orientation

As per **Section 7 – Implementation (subclause vii):**

“Admission to AEDP shall be the same as admission to regular UG programmes.” The AIC shall finalize the **admission criteria** during BoS deliberations.

### 5.1 Admission Process

- Universities shall publish the **AEDP Prospectus** on their websites, detailing:
  - AEDP courses available on campus and in affiliated colleges
  - Structure of AEDP semesters
  - Programme benefits and outcomes
  - Evaluation procedures
  - Minimum guaranteed stipend as per the Apprenticeship Act
- The **SAMARTH portal** must include a dedicated option for AEDP admissions.
- Students admitted to AEDP must possess a **valid PAN card** (mandatory for stipend disbursal).
- Minimum age during apprenticeship must be **18 years**.

## 5.2 Orientation

Post-admission, the AIC shall organize an **orientation programme** involving academic and industry experts.

Students shall be briefed on:

- Minimum attendance requirements during apprenticeship
- Assessment processes
- Programme expectations

No apprenticeship shall be conducted in the **first semester**, while the **final semester** must be fully dedicated to apprenticeship training.

## Phase 6 – Allotment of Seats, Tripartite Agreement, and NATS

The University website shall display:

- **AEDP admission brochure**
- List of AEDP courses offered on campus and in affiliated colleges
- **Seat allocation, course fees, eligibility criteria, and admission process**

The HEI shall choose the preferred apprenticeship engagement mode:

- **Direct Industry Engagement via a Tripartite Agreement**, or

- **Collaboration with BOAT/SSC/BOPT** through an MoU.

## Phase 7 – Delivery, Monitoring, Stipend, and Assessment (During OJT Semester)

This phase ensures **timely apprenticeship implementation, monitoring, stipend release, and evaluation.**

### 7.1 Deployment and Monitoring

- Apprenticeship locations must be mapped **prior to the OJT semester** to avoid delays.
- Monthly **attendance reports** of students must be collected.
- Faculty members must **visit industries at least once a month**, meet HR/industry supervisors, and obtain feedback.

### 7.2 Stipend Monitoring

The faculty and AIC shall ensure **timely stipend disbursal**. Any delay must be immediately addressed in coordination with the concerned industry. The attendance of the students to ensure the regularity and avoid absenteeism shall be a essential part for timely stipend disbursal.

### 7.3 Apprenticeship Assessment

Assessment shall be conducted strictly as per the **BoS-approved curriculum**, ensuring adherence to **Section 12 – Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP**. University can develop the assessment mechanism in compliance to the essential key performance indicators in alignment with course opted.

### 7.4 Grievance Redressal and Safety

- The **Grievance Redressal Officer** shall resolve complaints within **7 working days**.
- Issues unresolved beyond **15 days** shall be escalated to the Registrar.
- If deemed necessary, the Registrar may seek intervention from **UPHED or the Directorate**.

Safety compliance must be reviewed periodically by the University's Safety Officer.

## Phase 8 – Credits, Academic Bank of Credits (ABC), and Outcome Tracking

As per Section 9 – Credit Mechanism (subclause i):

“For apprenticeship, the credits would be calculated in terms of duration instead of notional hours. A three-month apprenticeship programme will earn 10 credits.”

### 8.1 Credit Assignment

After successful completion and evaluation of apprenticeship:

- The University shall declare results similar to other UG programmes.
- Credits shall be assigned as per apprenticeship duration.
- The credits shall be uploaded to the **Academic Bank of Credits (ABC)** linked to each student’s ID.

### 8.2 Feedback and Outcome Evaluation

Upon completion, feedback shall be collected from both **employers and students** regarding:

- Strengths of the programme
- Areas of improvement
- Student reflections on learning outcomes

### 8.3 Post-Training Tracking

As per Section 14 – Post-Training Tracking of UGC Guidelines:

“HEIs are expected to track the outcomes of the pass-outs from such programmes for a period of at least one year after completion to assess the employment and education pathways pursued by such candidates.”

The AIC or respective Department shall maintain a **one-year follow-up record** to monitor AEDP outcomes and inform future improvements.

<b>Monitoring Dimension</b>	<b>Indicator</b>	<b>Frequency</b>	<b>Data Source / Tool</b>	<b>Responsible Entity</b>
<b>Institutional Setup</b>	AIC constituted and notified	One-time, Monthly review	Office Order, Website Publication	Registrar / University
<b>Curriculum Development</b>	AEDP curriculum approved by BoS	Semester-wise	BoS Minutes, Approved Syllabus	AIC / Academic Council
<b>Industry Engagement</b>	MoUs signed / active industry partners	Quarterly	MoU Register, Industry Reports	Department Heads
<b>Apprenticeship Deployment</b>	Number of students placed	Each OJT semester	Placement and Attendance Records	Apprenticeship Officer
<b>Stipend Monitoring</b>	Timely stipend disbursal	Monthly	DBT and industry payment records	AIC / Finance Officer
<b>Safety and PoSH</b>	Safety audits and PoSH training completed	Semester-wise	Audit Checklists	Safety Officer
<b>Grievance Redressal</b>	% grievances resolved within 7 days	Quarterly	Grievance Register	Grievance Officer
<b>Academic Credits</b>	% credits uploaded to ABC	Each semester	ABC Portal Record	Registrar Office
<b>Outcome Tracking</b>	Employment or higher education follow-up	Annual	Alumni Surveys, Placement Data	AIC / Department

Each University shall submit a Quarterly AEDP Progress Report (QAPR) to the State Department summarizing achievements, challenges, and best practices based on the above indicators.





# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266074  
CG-DL-E-11092025-266074

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 566]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

## कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 610(अ).— केंद्रीय सरकार, शिक्षुता अधनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षुता परिषद से परामर्श करने के उपरांत शिक्षुता नियम, 1992 में इसके आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,-(i) उप-नियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"(1ख) 'डिग्री शिक्षुता' से अभिप्राय किसी ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें शिक्षुता पाठ्यक्रम का कोई समेकित घटक है;";

(ii) उप-नियम (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(6ख) 'संस्था' से अभिप्राय किसी ऐसे महाविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है;

(6ग) "क्षेत्रीय केंद्र" से अभिप्राय अधिनियम की शाखा 2 के उप-नियम (म्म) के अधीन निर्दिष्ट नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय बोर्ड से है;";

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(9क) 'शिक्षुता कर्मचारी' कोई भी व्यक्ति है जिसे अनुबंध श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया है, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019(2019 की 29) की शाखा 2 के उप-नियम (ग) में परिभाषित किया गया है या प्रवृत्त कोई अन्य विधि;

(9ख) "मानकनिःशक्तता वाला व्यक्ति" से अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की शाखा 2 के उप-नियम (र) में परिभाषित व्यक्ति से है;";

3. उक्त नियमों में, नियम 3में,--

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कोई व्यक्ति स्नातक या डिग्री या तकनीशियन या तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह अनुसूची 1क में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से किसी एक को संतुष्ट करता है:";

(ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) कोई भी डिग्री शिक्षु, तकनीकी संस्था या संस्था की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जहाँ ऐसा छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहा है, जब तक कि शिक्षुता सलाहकार या क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसा अनुमोदित न किया गया हो:";

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक व्यवसाय या विषय क्षेत्र के लिए, मानक निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए ऐसे व्यवसाय या विषय क्षेत्र की उपयुक्तता निर्दिष्ट की जाएगी और व्यवसाय या विषय क्षेत्र में मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) के उपबंधों के अधीन आरक्षित किए जाएंगे और यदि मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों से प्रशिक्षण स्थान भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मानकों वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकेंगे और उचित सरकार व्यवसायों या विषय क्षेत्रों के लिए मानक निःशक्तताओं के लिए आदेश जारी करेगी।"

5. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियोक्ता का दायित्व और व्यापार शिक्षु का दायित्व अनुसूची-V में निर्दिष्ट किया जाएगा, और स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं और डिग्री शिक्षु के संबंध में नियम और शर्तें अनुसूची VI में निर्दिष्ट की जाएंगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम और डिग्री शिक्षुता के छात्रों के मामले में, प्रायोगिक प्रशिक्षण की अवधि, जिसे वे शिक्षुता पाठ्यक्रम के अंग के रूप में ग्रहण करते हैं, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि होगी।"

7. उक्त नियमों में, नियम 7क में,---

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5क) मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे;";

(ii) उप-नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(14) न्यूनतम तीन वर्ष की डिग्री धारक या 10वीं कक्षा के पश्चात् तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक या 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात् दो वर्ष का डिप्लोमा धारक या स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पूरी करने के पश्चात् दो वर्ष के अध्ययन वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र धारक प्रत्येक शिक्षु जो वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुताप्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है, अनुसूची VI में निर्दिष्ट स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुता संविदा की नियमों और शर्तों का पालन करेगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 7ख में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक अधिष्ठान, संविदा कर्मचारियों सहित अधिष्ठान की कुल सशक्त बल का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के दायरे में शिक्षुओं को नियोजित करेगा, बशर्ते कि न्यूनतम 5 प्रतिशत कुल स्थान नवीन शिक्षुओं और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षुओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि नवीन शिक्षु और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षु के लिए निर्धारित स्थान प्रशिक्षण के लिए भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान शिक्षुता सलाहकार\*.\* की अनुमति से शिक्षुओं की अन्य श्रेणियों द्वारा भरे जा सकेंगे।"

9. उक्त नियमों में, नियम 7ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

7घ. प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल.- (1) दो शिक्षुता प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होगा: बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा जहां पिछला शिक्षुता प्रशिक्षण अधिनियम की शाखा 11 और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियोक्ता के भाग में विफलता के कारण समाप्त किया गया हो।

(2) जहां किसी शिक्षु ने स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाई या स्थानांतरण, परिवहन या वृत्तिका परिवर्तन या भाषा अवरोध के कारण पिछला शिक्षुता संविदा समाप्त किया है, वहां शिक्षु द्वारा समान नियोक्ता या किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने से पहले तीन मास की प्रतीक्षा अवधि लागू होगी और महिलाओं के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला वृत्तिका का व्यय केवल प्रथम-बार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा।

(5) जहां शिक्षुता की संविदा शिक्षु के भाग में संविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण समाप्त किया जाता है, वहां शिक्षु अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने का हकदार नहीं होगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी। शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

#### सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास
3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।"

11. उक्त नियमों में, नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप-1 के अनुसार किया गया शिक्षुता का संविदा पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर अग्रेषित किया जाएगा और डिग्री शिक्षु और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम छात्र के लिए, प्रारूप-1 के अनुसार संविदा संस्थान, शिक्षु और नियोक्ता के मध्य की जाएगी और पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्रत्येक नियोक्ता अपने अधिष्ठान में नियोजित डिग्री, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षाओं द्वारा किए गए कार्य और ग्रहण किए गए प्रशिक्षण का प्रत्येक तिमाही के लिए रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत में अनुसूची III में निर्दिष्ट फॉर्म शिक्षुता 3 में एक रिपोर्ट संबंधित उप क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार को या जैसा भी मामला हो, भेजेगा।"

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-1क में, अनुक्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4. डिग्री शिक्षु	"4. यथा विहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।"
-------------------	---

13. उक्त नियमों में, अनुसूची-III में, प्रारूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

#### "प्रारूप-1

वयस्क या अवयस्क शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की आदर्श संविदा

#### I. शिक्षु के मूल विवरण

1. शिक्षु का नाम:

शिक्षु का फोटो

2. पिता/ माता/ पति या पत्नी का नाम:

3. विधिक संरक्षक का नाम \*(अवयस्क के मामले में):

\*अवयस्क शिक्षु वह है जिसने शिक्षु की आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं

4. लिंग: महिला/ पुरुष/ अन्य

5. जन्म तिथि: दिन/मास/वर्ष

6. उच्चतम शैक्षिक योग्यता:

7. क्या दिव्यांगजन से संबंधित है\*(हाँ/नहीं)\*

8.(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक से संबंधित है\*(हाँ/नहीं)\*

(ख). कोटि का नाम

9. शिक्षु का आधार नंबर:

10. संविदा पंजीकरण संख्या:

11. पता:

12. मोबाइल नंबर:

13. ईमेल:

#### II. शिक्षु के शैक्षिक विवरण

14. पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/ डिप्लोमा/ डिग्री का नाम:

15. संस्था का नाम और पता:

16. पंजीकरण/ नामांकन संख्या: 17. पूर्णता की स्थिति: \*(पूर्ण/अध्ययनरत)\*

18. उत्तीर्ण होने/ अपेक्षित पूर्णता का मास और वर्ष: \*मास/वर्ष\*

#### III. अधिष्ठान के विवरण

19. अधिष्ठान का पंजीकृत नाम और पता:

20. संपर्क व्यक्ति: 21. संपर्क नंबर: 22. ईमेल:

23. (क) क्या अधिष्ठान किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है \*हाँ/नहीं\*

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

IV. संस्था विवरण (केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम / डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

24. संस्था संपर्क व्यक्ति:

25. संपर्क नंबर:

26. ईमेल:

27. (क) क्या संस्था किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है: हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

V. शिक्षुताप्रशिक्षण विवरण

28. व्यवसाय/पाठ्यक्रम का नाम:

29. व्यवसाय/पाठ्यक्रम कोड:

30. शिक्षु क्रमांक:

31. प्रशिक्षण अवधि:

32. प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

33. प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

34. के रूप में नामांकित:\*(शिक्षु की अनुप्रयोज्यकोटि)

35. शिक्षुताप्रशिक्षण स्थान/अधिष्ठान का नाम और पता:

36. बेसिक प्रशिक्षण विवरण (यदि लागू हो):

(क) बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता का नाम:

(ख) प्रशिक्षण केंद्र का नाम और पता:

(ग) संपर्क नंबर:

(घ) (i) प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\* समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

(ii) प्रारंभ करने की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\* समाप्ति की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

VI. वृत्तिका विवरण

37.

वर्ष	अधिष्ठान का अंश	सरकारी अंश	कुल मासिक वृत्तिका
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

टिप्पण: मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

VII. अतिरिक्त सूचना

38. क्या निम्नलिखित लागू हैं:

(क) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/ईडीपी: (हाँ/नहीं)

(ख) दूरस्थ कार्य: (हाँ/नहीं)

(ग) समुद्रपार में अन्तःकार्यप्रशिक्षण: (हाँ/नहीं)

(घ) नियोक्ता/ संस्था की ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, अभिकरण का नाम

### VIII. घोषणा

39. हम, नियोक्ता, शिक्षु/ संरक्षक और संस्थान, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करते हैं कि हमने शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) और दायित्वों सहित शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के संबंध में शिक्षुता नियम, 1992 को पढ़ लिया है और उनके अधीन किए गए सभी उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं। नियोक्ता, शिक्षु/संरक्षक और संस्था में से किसी के भी द्वारा चूक की स्थिति में, हम शिक्षुता नियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्ष को प्रतिकर करने के लिए सहमत हैं (शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के परिशिष्ट, खंड IX में शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान देखे जा सकते हैं)।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

शिक्षु के हस्ताक्षर

संस्था के हस्ताक्षर

(केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/ डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

संरक्षक के हस्ताक्षर\*

\*अवयस्क शिक्षुओं के मामले में\*

### IX. संविदा अनुमोदन और शिक्षुता सलाहकार विवरण

40. संविदा पंजीकरण की तारीख: \*दिन/मास/वर्ष\*

41. शिक्षुता सलाहकार का नाम और पता:

42. संविदा निष्पादन की तारीख कोशिक्षु की आयु:

43. संपर्क नंबर:

44. ईमेल:

पंजीकरण प्राधिकारी के  
हस्ताक्षर और मुहर  
(शिक्षुता सलाहकार)

### X. शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा का अनुलग्न

शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा से संबंधित शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:---

(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी और शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर नियम 11 के उप-नियम(1) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) वर्तमान में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वृत्तिका राशि नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट है, अर्थात्:---

#### सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास

3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षा या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षा या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक यामध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षा या डिग्री शिक्षा या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।

मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में और 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(4) शिक्षु, आचरण और अनुशासन और सुरक्षा के सभी मामलों में अधिष्ठान के नियमों और विनियमों का पालन करेगा और अधिष्ठान में नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।

(5) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय III, IV और V के प्रावधान, शिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हों और जब कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हों, वहां खान अधिनियम, 1953 (1952 का 35) के अध्याय V के प्रावधान शिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित हों।

(6) कार्यस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के दौरान एक शिक्षु के दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, वशर्ते कि प्रशिक्षण अवधि, यदि निर्धारित है, का अनुपालन किया जाए और शिक्षु ऐसी छुट्टियों और अवकाशों का हकदार होगा जैसा कि उस अधिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(7) यदि किसी शिक्षु को उसके शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगती है, तो उसका नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबंधों के अनुसार।

(8) शिक्षु उन नियमों और विनियमों (संगत कोटि के कर्मचारियों पर लागू) के अधीन होगा जिस अधिष्ठान में शिक्षु प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(9) अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु होगा न कि श्रमिक और इस प्रकार श्रम के संबंध में किसी भी विधि के प्रावधान ऐसे शिक्षु पर लागू नहीं होंगे या उससे संबंधित नहीं होंगे।

(10) नियोक्ता अपने अधिष्ठान में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षु को शिक्षुता प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार की अनुमति से उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(11) नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर शिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे।

(12) किसी विशेष मास के लिए वृत्तिका का भुगतान अगले मास की दसवीं तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।

(13) वृत्तिका में से उस अवधि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसके दौरान कोई शिक्षु आकस्मिक छुट्टी या चिकित्सकीय छुट्टी पर रहता है और शिक्षुता पोर्टल पर वृत्तिका भुगतान मॉड्यूल के लिए अधिष्ठान को मास के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को देय अनधिकृत छुट्टियों और वृत्तिका राशि को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।

(14) जहां शिक्षुता की संविदा किसी नियोक्ता के भाग में उसकी नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के माध्यम से समाप्त किया जाता है, वहां ऐसा नियोक्ता इन नियमों के अधीन शिक्षु को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(15) प्रत्येक शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रगति का आकलन नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और प्रत्येक शिक्षु जो नियोक्ता की संतुष्टि पर अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे उस नियोक्ता द्वारा दक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जो संबंधित पुरस्कार देने वाली संस्था द्वारा आगे के आकलन या प्रमाणन का आधार होगा।

(16) डिग्री शिक्षुता की शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(i) नियोक्ता संविदा के अनुसार और अधिनियम के समग्र उपवंधों के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करेगा;

(ii) अकादमिक संस्था उद्योग भागीदार या नियोक्ता के साथ साझेदारी में किए गए शिक्षुता घटक के प्रबंधन सहित अनुमोदित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करेगा;

(iii) पोर्टल पर शिक्षुता संविदाओं और अन्य संबंधित अनुपालन का मानचित्रण और रिपोर्टिंग शैक्षणिक संस्था या उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण के साथ निहित होगा;

(iv) नियोक्ता शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के मध्य निर्धारित शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने की अनुमति देगा, चाहे वह अन्तःकार्य प्रशिक्षण परिसर में हो या शैक्षणिक संस्था परिसर में, जैसा भी मामला हो।

(17) शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए किसी अनुप्रयोज्य सरकारी योजना के मामले में, अधिष्ठान या शिक्षु या संरक्षक (अवयस्क शिक्षु के मामले में) यह वारंट और पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उनसे संबंधित योजना दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है, समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, और इन दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा और समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।";

14. उक्त नियमों में, अनुसूची-IV में, पैरा2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. डिग्री और स्नातक शिक्षुओं के मामले में:

अध्ययन या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के उचित शाखा में डिग्री धारक होना चाहिए या भारत सरकार या अखिल भारतीय परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।"

15. उक्त नियमों में, अनुसूची-V में, पैरा1 के अंतर्गत, नियोक्ता के दायित्वों (वयस्क और अवयस्क दोनों व्यापार शिक्षुओं के मामले में) से संबंधित,---

(i) उप-पैरा (2) में, उप-नियम (क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) नियोक्ता वैसिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या प्रायोगिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या दोनों को ऑनलाइन या आभासी या इलेक्ट्रॉनिक या मिश्रित मोड के माध्यम से प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, केन्द्रीय शिक्षुतापरिषद के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नियोक्ता शिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण में केवल सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच नियोजित करेगा और इस समय में किसी भी छूट के लिए शिक्षुता सलाहकार द्वारा, मामला-दर-मामला के आधार पर, अनुमोदित किया जाएगा, अधिनियम की शाखा 15 के अधीन प्रदान किए गए कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टियाँ और अवकाश;";

(ii) उप-पैरा (5) में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) एक अधिष्ठान प्रायोगिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल एक वयस्कशिक्षु को देश के भीतर या विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति (प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यस्थान के अतिरिक्त) में तैनात कर सकता है और कोई अवयस्कशिक्षु तैनात नहीं किया जाएगा: वशर्ते कि अधिष्ठान शिक्षु को अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा ---

(i) देश के भीतर किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और अतिरिक्त प्रतिकर तैनाती की ऐसी अवधि के लिए न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि, आना-जाना यात्रा लागत, आवास, भोजन, अस्पताल में भर्ती होने की लागत और बीमा होगी।

(ii) विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के कम से कम दोगुनी अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और

अधिष्ठान वीजा, यात्रा, चिकित्सा परीक्षण, अस्पताल में भर्ती, बीमा, आना-जाना यात्रा लागत, रहने और भोजन की लागत वहन करेगा;

(iii) अधिष्ठान द्वारा किसी भी उल्लंघन का निपटान संबंधित देश के स्थानीय श्रम कार्यालय द्वारा किया जाएगा;

(iv) शिक्षुता सलाहकार देश के भीतर या विदेशों में शिक्षु की तैनाती को मामला-दर-मामला के आधार पर अनुसूचित करेगा;

(v) नियोक्ता अकेले ग्राहक की अवस्थिति में प्रशिक्षण की अवधि के लिए शिक्षु को वृत्तिका का भुगतान करेगा और वृत्तिका की कोई लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।"

16. उक्त नियमों में, अनुसूची- VI में,--

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुता अनुबंध की नियम और शर्तें";

(ii) पैरा (5) में, उप-पैरा (i) और (ii) में, "क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार" शब्दों के पश्चात्, क्रमशः "या शिक्षुता सलाहकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) पैरा (6) में, उप-पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) एक स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु और डिग्री शिक्षु उस अधिष्ठान विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुसार कार्य करेगा जिसमें वह प्रशिक्षण के लिए संलग्न है।";

(iv) पैरा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) संस्था की जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य एक शिक्षुता अनुबंध करना;

(ii) पोर्टल साइट पर संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार या जैसा भी मामला हो, प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(iv) संबंधित शिक्षुता सलाहकार को अधिष्ठान की किसी भी यात्रा के बारे में सूचित रखना।"

[फा. सं. एमएसडीई-1/3/2024-एटी]

श्रीशैल माले, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** शिक्षुता नियम, 1992, तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 1992 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2025

**G.S.R. 610(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—
  - (i) after clause (1A), the following clause shall be inserted, namely:—
 

“(1B) ‘degree apprenticeship’ means a course having apprenticeship as an integrated component of the curriculum;”;
  - (ii) after clause (6A), the following clauses shall be inserted, namely:—
 

“(6B) ‘Institution’ means a college imparting a degree or diploma course approved by the University or Board;

“(6C) “Regional Centre” means Regional Board at locations other than the cities specified under clause (mm) of section 2 of the Act;”;
  - (iii) after clause (9), the following clauses shall be inserted, namely:—
 

“(9A) ‘contractual staff’ is any person employed as a contract labour as defined in clause (g) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or any other law for the time being in force;

“(9B) “person with benchmark disability” means a person as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);”;
3. In the said rules, in rule 3,—
  - (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(2) A person shall be eligible for being engaged as a graduate or degree or technician or technician vocational apprentice if he satisfies one of the minimum educational qualifications specified in Schedule IA:”;
  - (ii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 

“(ba) no degree apprentice shall be eligible for being engaged as an apprentice under the Act after passing the final examination of the technical institution or institution wherein such student is undergoing the course unless so approved by the Apprenticeship Adviser or Regional Central Apprenticeship Adviser as the case may be;”;
4. In the said rules, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 

“(3) For every trade or subject field, suitability of such trade or subject field for person with benchmark disability shall be specified and the training places for persons with benchmark disabilities in trade or subject field shall be reserved under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and if the training places cannot be filled from persons with benchmark disabilities, then the training places so lying unfilled may be filled by persons having minimum standards of physical fitness specified in Schedule II and the appropriate Government shall issue orders for benchmark disabilities for trades or subject fields.”
5. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 

“(2) The obligation of the employer and that of the trade apprentice shall be as specified in Schedule-V, and the terms and conditions in respect of graduate, technician, technician (vocational) apprentices and degree apprentice shall be as specified in Schedule VI.”
6. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (4), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
 

“(b) In the case of Sandwich Course and Degree Apprenticeship students, the period of practical training, they undergo as part of apprenticeship course of studies shall be the period of apprenticeship training.”
7. In the said rules, in rule 7A,—
  - (i) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5A) The training places for the persons with benchmark disabilities shall be reserved by the employer in every optional trade in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 5.”;

(ii) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(14) Every apprentice possessing a degree of minimum three years or a diploma of three years after 10th class or diploma of two years after 12th pass or a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade shall follow the terms and conditions of contract of apprenticeship for graduate, Technician, Technician (vocational) and degree apprentices specified in Schedule VI.”.

8. In the said rules, in rule 7B, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:-

“(3) Within a financial year, each establishment shall engage apprentices in a band of 2.5 per cent. to 15 per cent. of the total strength of the establishment including contractual staff, subject to a minimum of 5 per cent. of the total to be reserved for fresher apprentices and skill certificate holder apprentices and if the prescribed training places for fresher apprentice and skill certificate holder apprentice cannot be filled, then the training places so lying unfilled may be filled by other categories of apprentices with the approval of the apprenticeship adviser.”.

9. In the said rules, after rule 7C, the following rule shall be inserted, namely:-

**“7D. Minimum gap between trainings.—** (1) There shall be minimum one year gap between two apprenticeship training: Provided that the previous training is completed and no gap shall be required in the case of termination of previous apprenticeship training due to failure on the part of the employer provided under section 11 of the Act and sub-rule (2) of rule 6.

(2) Where an apprentice has terminated a previous apprenticeship contract due to health or financial hardship or relocation, transportation or career changes or language barrier, the waiting period of three month shall apply before the apprentice shall enter into another contract of apprenticeship with the same employer or any other employer and there shall be no waiting period for women.

(3) A person may undergo maximum two apprenticeship training and the second training shall not be in the same trade.

(4) The cost of stipend borne by the Central Government and shall be restricted to the first-time training only.

(5) Where the contract of apprenticeship is terminated for the failure on the part of the apprentice to carry out the terms of contract, the apprentice shall not be entitled to enter into another contract of Apprenticeship under the Act with any other employer.”.

10. In the said rules, in rule 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum. The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be the following, namely:-

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Category</b>	<b>Prescribed minimum amount of stipend</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	School pass-outs (class 5 <sup>th</sup> —class 9 <sup>th</sup> )	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 <sup>th</sup> )	Rs. 8,200 per month
3.	School pass-outs (class 12 <sup>th</sup> )	Rs. 9,600 per month

4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

11. In the said rules, in rule 14,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A contract of apprenticeship as entered between an apprentice and the employer as per Format-1 specified in Schedule III shall be forwarded on the portal site by the employer for registration and for degree apprentice and sandwich course student, the contract as per Format-I will be entered between Institution, apprentice and employer and shall be forwarded on the portal-site by the employer for registration.”;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall substituted, namely:—

(4) Every employer shall maintain a record of the work done and training undertaken by the degree, graduate, technician and technician (vocational) apprentices engaged in his establishment, for each quarter and at the end of each quarter shall send a report in Form Apprenticeship 3 specified in Schedule III to the concerned Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser or as the case may be.”.

12. In the said rules, in SCHEDULE-IA, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“4. Degree apprentices	As prescribed by the All India Council for Technical Education or University Grants Commission.”.
------------------------	---

13. In the said rules, in SCHEDULE-III, for the FORMAT-1, the following FORMAT-1 shall be substituted, namely:-

#### “FORMAT-1

##### Model Contract of Apprenticeship Training for Major or Minor\* Apprentices

#### I. APPRENTICE BASIC DETAILS

1. Apprentice Name:

2. Name of Father/ Mother/ Spouse:


3. Name of Legal Guardian (*in case of Minor\**):

*\*Minor apprentice is one who has not completed 18 years of age of the Apprentice*

4. Gender Female/ Male/ Other

DD/MM/YYYY

5. Date of Birth:



6. Highest Education Qualification:

7. Whether belongs to PwD(Yes/No)

8.(a). Whether belongs to SC/ST/OBC/ Minority(Yes/No)

(b). Name of the Category

9. Apprentice Aadhaar Number:

10. Contract Registration Number:

11. Address:

12. Mobile Number:

13. Email:

#### II. APPRENTICE EDUCATION DETAILS

14. Name of the Course/ Trade/ Diploma/ Degree:

15. Name and Address of the Institution:

16. Registration/ Enrolment Number: 17. Status of Completion: (*Completed/ Pursuing*)18. Month & Year of Passing/ Expected Completion: *MM/YYYY***III. ESTABLISHMENT DETAILS**

19. Registered Name and Address of the Establishment:

20. Contact Person: 21. Contact Number: 22. Email:

23.(a) Whether the establishment is opting for the benefits under any Government Scheme Yes/No

(b) If Yes, name of the Scheme:

**IV. INSTITUTION DETAILS (Applicable for sandwich course/ degree apprentices only)**

24. Institution Contact Person: 25. Contact Number: 26. Email:

27.(a) Whether the Institution is opting for the benefits under any Government Scheme: Yes/No

(b) If yes, name of the Scheme:

**V. APPRENTICESHIP TRAINING DETAILS**

28. Trade/Course Name: 29. Trade/Course Code: 30. Apprentice No.:

31. Training Duration: 32. Training Start Date: *DD/MM/YYYY* 33. Training End Date: *DD/MM/YYYY*34. Enrolled as: (*applicable category of apprentice*)

35. Name and Address of Apprenticeship Training Location/ Establishment:

36. Basic Training Details (if applicable):

(a) Name of the Basic Training Provider:

(b) Training Centre Name and Address:

(c) Contact Number:

(d) (i) Start Date: *DD/MM/YYYY* End Date: *DD/MM/YYYY*(ii) Start Date: *DD/MM/YYYY* End Date: *DD/MM/YYYY***VI. STIPEND DETAILS**

37.

Year	Establishment share	Government share	Total monthly stipend
1 <sup>st</sup>			
2 <sup>nd</sup>			
3 <sup>rd</sup>			

Note: The Government share of monthly stipend, if any, shall be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

**VII. ADDITIONAL INFORMATION**

38. Whether the following are applicable:

(a) Sandwich Course/ AEDP: (Yes/ No)

(b) Remote Work: (Yes/ No)

(c) Overseas on-the-job training: (Yes/No)

(d) Any authorised agency working on behalf of the employer/ Institution (Yes/No). If Yes, Name of the agency

### VIII. DECLARATION

39. We, the Employer, Apprentice/Guardian and Institution solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and the Apprenticeship Rules, 1992 regarding the Contract of Apprenticeship Training including obligations and agree to abide by all the provisions made thereunder. In case of default by any of the Employer, Apprentice/Guardian and Institution, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Apprenticeship Rules may be seen in the Enclosure to the Contract of Apprenticeship Training, Section IX).

*Signature of the Employer*

*Signature of Apprentice*

*Signature of Institution*

(Applicable for Sandwich Course/  
Degree Apprentices only)

*Signature of Guardian\**

\*in case of Minor Apprentices

### IX. CONTRACT APPROVAL AND APPRENTICESHIP ADVISER DETAILS

40. Contract Registration Date: *DD/MM/YYYY*

41. Name and Address of the Apprenticeship Adviser:

42. Age of Apprentice on the Date of Execution of Contract:

43. Contact Number:

44. Email:

*Signature and Stamp of the  
Registering Authority  
(Apprenticeship Adviser)*

### X. ENCLOSURE TO CONTRACT OF APPRENTICESHIP TRAINING

The main provisions of the apprenticeship rules relating to the Contract of Apprenticeship training shall be the following, namely:—

- (1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum and the minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as specified in the Table under sub-rule(1) of rule 11.
- (2) Presently, the prescribed minimum amount of monthly stipend for the various categories as specified in the Table below, namely:—

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Category</b>	<b>Prescribed minimum amount of stipend</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	School pass-outs (class 5 <sup>th</sup> —class 9 <sup>th</sup> )	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 <sup>th</sup> )	Rs. 8,200 per month

3.	School pass-outs (class 12 <sup>th</sup> )	Rs. 9,600 per month
4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

The Government share of monthly stipend, if any, will be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

- (3) During the second year of apprenticeship training, there shall be an increase of ten per cent. in the prescribed minimum stipend amount and further 15 per cent. increase in the prescribed minimum stipend amount during the third year of apprenticeship training.
- (4) The apprentice shall abide by the rules and regulations of the establishment in all matters of conduct and discipline and safety and carry out all lawful orders of the employer and superiors in the establishment.
- (5) The provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1953 (35 of 1952) shall apply in relation to the health and safety of the apprentices as if they were employed in the mine.
- (6) The daily and weekly hours of work of an apprentice while undergoing practical training in a workplace shall be determined by the employer subject to the compliance with the training duration, if prescribed and apprentice shall be entitled to such leave and holidays as are observed in the establishment in which he is undergoing training.
- (7) If personal injury is caused to an apprentice, by accident arising out of and in the course of his training as an apprentice, his employer shall be liable to pay compensation which shall be determined and paid, so far as may be, in accordance with the provisions of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).
- (8) The apprentice shall be governed by the rules and regulations (applicable to employees of the corresponding category) in the establishment in which the apprentice is undergoing training.
- (9) Every apprentice undergoing apprenticeship training in an establishment shall be a trainee and not a worker and as such the provisions of any law with respect to labour shall not apply to or in relation to such apprentice.
- (10) The employer shall make suitable arrangements in his establishment for imparting a course of apprenticeship training to the apprentice in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder with the approval of the Central or State Apprenticeship Advisor.
- (11) It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment.
- (12) The stipend for a particular month shall be paid on or before the tenth day of the following month.
- (13) No deduction shall be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave and the stipend payment module on the apprenticeship portal shall require the establishment to update the unauthorised leaves and stipend amount payable to each candidate for the month.
- (14) Where the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation under these rules.
- (15) The progress in apprenticeship training of every apprentice shall be assessed by the employer from time to time and every apprentice who completes his apprenticeship training to the satisfaction of the employer shall be granted a certificate of proficiency by that employer which shall be the basis for further assessment or certification by the concerned awarding body.
- (16) The conditions for the degree apprenticeship shall be the following, namely:—
  - (i) the employer shall provide the apprenticeship training as per the approved program in accordance with the contract and within the overall provisions of the Act;

(ii) the academic Institution shall deliver the course as per the approved course curriculum including the management of the apprenticeship component undertaken in partnership with the industry partner or employer;

(iii) mapping and reporting apprenticeship contracts and other related compliance on the portal shall lie with the academic institution or any authorised agency working on its behalf;

(iv) the employer shall permit apprentices to attend scheduled academic sessions in between the training period either at the on-the-job training premises or at the academic institution campus as the case may be.

(17) In case of any applicable Government scheme for apprenticeship promotion, the establishment or apprentice or guardian (in case of minor apprentice) warrant and confirm that they have studied, understood, and agree to comply with the scheme guidelines pertaining to them, and these Guidelines shall be made available in the public domain and may be updated from time to time.”;

14. In the said rules, in SCHEDULE-IV, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. In the case of Degree and Graduate Apprentices:

Must hold a degree in appropriate branch of study or engineering or technology or equivalent qualification as recognised by the Government of India or the All India Council or University Grant Commission.”.

15. In the said rules, in SCHEDULE-V, under paragraph I, relating to Obligations of Employer (both in the case of Major and Minor Trade Apprentices),—

(i) in sub-paragraph (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(b) the employer shall make suitable arrangements for imparting a course of basic training or course of practical training or both through online or virtual or electronic or blended mode in accordance with the syllabus approved by the Central Government in consultation with Central Apprenticeship Council for designated trade and for the optional trade, the syllabus shall be approved by the National Council. The employer shall engage apprentices in such training only between the hours of 8.00 am and 6.00 pm and any relaxation to this time shall be approved by the Apprenticeship Adviser, on case-to-case basis, the hours of work, overtime, leave and holidays provided under section 15 of the Act.”;

(ii) in sub-paragraph (5), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) An establishment may deploy only a major apprentice during the practical training period in a client location (other than the workplace of practical training) within the country or abroad and no minor apprentice shall be deployed: Provided that the establishment shall pay to apprentice additional compensation —

(i) for a client location within the country, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay additional compensation specified in sub-rule (1) of rule 11 and the additional compensation shall be at least the prescribed minimum amount of stipend for such period of deployment, to and fro travel cost, accommodation, food, hospitalisation cost and insurance.

(ii) for a client location abroad, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay an additional compensation of atleast twice the prescribed minimum amount of stipend specified in sub-rule (1) of rule 11 and the establishment shall bear the cost of visa, travel, medical tests, hospitalisation, insurance, cost of travel to and fro, stay and food;

(iii) any violation by the establishment shall be dealt by the local labour office of the country concerned;

(iv) the apprenticeship adviser shall approve the deployment of apprentice within the country or abroad on case-to-case basis;

(v) the employer alone shall pay the stipend to the apprentice for the period of training in a client location and no cost of stipend shall be borne by the Central Government.”.

16. In the said rules, in the SCHEDULE-VI,—

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Terms and conditions of the contract of apprenticeship for graduate, technician, technician (vocational) and degree apprentices”;

(ii) in paragraph (5), in sub-paragraphs (i) and (ii), after the words “Regional Central Apprenticeship Adviser”, the words “or Apprenticeship Adviser” shall respectively be inserted.

(iii) in paragraph (6), for sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(i) A Graduate, Technician, Technician (Vocational) Apprentice and Degree Apprentice shall work to the normal hours of work of the department in the establishment to which he is attached for training.”;

(iv) after paragraph (6), the following paragraph shall be inserted, namely:-

“(7) The responsibility of the Institution shall be the following, namely:-

- (i) to enter into a contract of apprenticeship between the apprentice and the employer;
- (ii) to ensure related compliance on the portal site;
- (iii) management, monitoring and evaluation as per the guidelines of the All India Council of Technical Education and University Grants Commission or as the case may be;
- (iv) keep the apprenticeship adviser concerned informed about any visit to the establishment.”.

[F.No. MSDE-1/3/2024-AT]

SHREESHAIL MALGE, Jt. Secy.

**Note:** The Apprenticeship Rules, 1992 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 1<sup>st</sup> August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 254 (E), dated the 19<sup>th</sup> April, 2024.

# Standard Operating Procedure (SoP) for Implementation of the Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)

*(As per UGC Guidelines for Higher Educational Institutions to Offer AEDP, March 2025)*

---

## Phase 1 – Initiation

### 1.1 Formation of the Apprenticeship Implementation Committee (AIC)

Each University Registrar shall constitute an **Apprenticeship Implementation Committee (AIC)** under the overall supervision of the University administration to oversee the implementation of the AEDP. An AEDP Implementation Team shall be formed, and an official Office Order shall be issued listing the nominated members, their designations, contact details, and assigned responsibilities.

The broader roles may include:

- University Campus AEDP In-Charge
- Board of Studies (BoS) Approval Coordinator
- Apprenticeship Officer
- Industry Liaison Officer
- Grievance Redressal Officer
- Advertisement and Outreach Officer
- PoSH and Safety Officer

The Office Order shall be uploaded on the official University website. Regular meetings shall be conducted to review AEDP-related activities, and the minutes shall be documented, shared with the Registrar, and forwarded to the State Department for progress tracking. Half yearly meetings shall be organised at state level to review the progress.

### 1.2 Eligibility Verification

As per the **UGC Guidelines for Implementation of AEDP (March 2025)**, the AIC shall verify the eligibility of the **University Campus and its affiliated colleges** to offer AEDP courses.

The Committee shall prepare and maintain a list of all affiliated colleges found eligible to commence AEDP programmes.

A comprehensive list of eligible colleges must be prepared and documented for subsequent academic and administrative actions. The eligible colleges then shall be counselled at university further to opt the best suitable program for their institutions. This shall also include the scope of apprenticeship placement.

### 1.3 Briefing to the Academic Council

The AIC shall brief the **Academic Council** on the requirements for declaring a programme as an AEDP. All essential check-points—such as **duration of apprenticeship, credit allocation for apprenticeship, and evaluation mechanisms**—must be outlined and documented for Council consideration. The documentation shall be updated college wise and a copy of the same shall be shared with the state for record purposes.

## Phase 2 – Academic and Legal Enablement

### 2.1 Amendment of Ordinances / By-Laws

The University shall propose amendments to its **Academic Ordinance** to incorporate AEDP-specific provisions. The following sections of the **UGC Guidelines for Higher Educational Institutions to Offer AEDP, March 2025**, should be duly addressed:

- Section 7 – *Implementation*
- Section 8 – *AEDP Duration*
- Section 9 – *Credit Mechanism*
- Section 11 – *Preparation of Apprenticeship Plan*
- Section 12 – *Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP*

The University must also frame provisions for handling cases where a student **fails to complete the apprenticeship component** during any semester and define how such students will complete the requirement to qualify for the degree.

**Deliverable:** Copy of the approved Ordinance and all related annexures.

### 2.2 Publication of University AEDP Policy Note

Following approvals by the Academic and Executive Councils, each University shall publish an official AEDP Policy Note on its website.

This document will serve as the guiding framework for University departments and affiliated institutions during implementation.

## Phase 3 – Programme Design and Host Seat Preparation

### 3.1 Curriculum Preparation

Each academic department shall design its **AEDP curriculum** in line with the UGC Guidelines. The AIC shall conduct meetings with **Heads of Departments (HoDs)** to brief them about AEDP implementation.

As per **Section 7 – Implementation (subclause vii):**

“Admission to AEDP shall be the same as admission to regular UG programmes.”

During curriculum finalization, the AIC shall decide the admission criteria for each programme in consultation with the BoS. Departments may:

- Adopt any of the **21 model curriculums** shared by CRISP and tailor them as per institutional requirements, or
- Identify an existing BoS-approved course and develop its **AEDP counterpart** in alignment with UGC guidelines.

Under **Section 7 – Implementation (subclause vi):** “The HEIs may convert their already running programmes into the AEDP and take admissions accordingly.”

### 3.2 Mapping of Apprenticeship Semesters

Following curriculum design, the **apprenticeship semesters** must be mapped in compliance with:

- **Section 8 – AEDP Duration**
- **Section 11 – Preparation of Apprenticeship Plan**
- **Section 12 – Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP**

The finalized curriculum shall then be submitted to the **BoS** for approval.

### 3.3 Drafting the Apprenticeship Plan

Each Department Head shall:

- Identify **industry partners** relevant to the designed curriculum.
- Conduct consultations with industry heads.
- Jointly draft an **Apprenticeship Plan** outlining:
  - Job roles of apprentices
  - Expected skill outcomes
  - Attendance norms and monitoring mechanism
  - Evaluation methodology

The plan must adhere to **Section 11 – Preparation of Apprenticeship Plan** and **Section 12 – Assessment Methodology** of the UGC Guidelines. A **signed plan** from both the Department Head and the Industry Partner is mandatory.

### 3.4 Drafting of MoU

With the AIC's support, each Department Head shall draft an **MoU** in consensus with the Industry Partner. This MoU shall form the base of the **mandatory tripartite agreement** prescribed under the UGC Guidelines and may allow minor variations between industries.

### 3.5 Stipend Route and Modus Operandi

The AIC shall decide the **stipend disbursal mechanism** in accordance with the **Gazette of India CG-DL-E-11092025-266074, dated September 8, 2025**.

- **Direct Tripartite Route:** Industry pays stipend directly to students through the tripartite agreement.
- **NATS/BOAT Route:** If using NATS through BOAT, part of the stipend will be paid via DBT by the Government. The remaining payment method must be defined by the HEI.

### 3.6 Safety Readiness and PoSH Vetting

Each University AIC must appoint a **Safety Officer**. The Safety Officer shall ensure that each department drafts a **safety protocol** aligned with the nature of associated industries.

All industry partners and students must adhere strictly to these safety rules to prevent hazardous exposure. Additionally, compliance with the **Prevention of Sexual Harassment (PoSH)** framework is mandatory. It is recommended to include **PoSH awareness** as part of

the pre-apprenticeship semester curriculum. Each department must submit a **signed safety checklist**.

## Phase 4 – UGC Guidelines Compliance Confirmation

The University Registrar shall email or upload all essential documents to the UGC to seek approval. The communication must include:

- Proof of eligibility (as per **Section 6 – Eligibility of HEI**)
- BoS approval copies
- Approved Apprenticeship Deployment and Evaluation Plan
- Tripartite Agreement with Industry or MoU with BOAT
- NCRC Credit Mapping

### For Colleges:

Colleges must submit to the UGC:

- NOC from UPHED
- Affiliation letter from the respective University
- Copy of approved curriculum from BoS
- Eligibility criteria as per UGC Guidelines
- Apprenticeship Deployment and Evaluation Plan (approved by the University)
- Tripartite Agreement or MoU with BOAT

### Note:

*No HEI shall admit students before submitting these documents and receiving formal UGC confirmation.*

---

## Phase 5 – Admissions and Orientation

As per **Section 7 – Implementation (subclause vii):**

“Admission to AEDP shall be the same as admission to regular UG programmes.” The AIC shall finalize the **admission criteria** during BoS deliberations.

### 5.1 Admission Process

- Universities shall publish the **AEDP Prospectus** on their websites, detailing:
  - AEDP courses available on campus and in affiliated colleges
  - Structure of AEDP semesters
  - Programme benefits and outcomes
  - Evaluation procedures
  - Minimum guaranteed stipend as per the Apprenticeship Act
- The **SAMARTH portal** must include a dedicated option for AEDP admissions.
- Students admitted to AEDP must possess a **valid PAN card** (mandatory for stipend disbursal).
- Minimum age during apprenticeship must be **18 years**.

## 5.2 Orientation

Post-admission, the AIC shall organize an **orientation programme** involving academic and industry experts.

Students shall be briefed on:

- Minimum attendance requirements during apprenticeship
- Assessment processes
- Programme expectations

No apprenticeship shall be conducted in the **first semester**, while the **final semester** must be fully dedicated to apprenticeship training.

## Phase 6 – Allotment of Seats, Tripartite Agreement, and NATS

The University website shall display:

- **AEDP admission brochure**
- List of AEDP courses offered on campus and in affiliated colleges
- **Seat allocation, course fees, eligibility criteria, and admission process**

The HEI shall choose the preferred apprenticeship engagement mode:

- **Direct Industry Engagement via a Tripartite Agreement**, or

- **Collaboration with BOAT/SSC/BOPT** through an MoU.

## Phase 7 – Delivery, Monitoring, Stipend, and Assessment (During OJT Semester)

This phase ensures **timely apprenticeship implementation, monitoring, stipend release, and evaluation.**

### 7.1 Deployment and Monitoring

- Apprenticeship locations must be mapped **prior to the OJT semester** to avoid delays.
- Monthly **attendance reports** of students must be collected.
- Faculty members must **visit industries at least once a month**, meet HR/industry supervisors, and obtain feedback.

### 7.2 Stipend Monitoring

The faculty and AIC shall ensure **timely stipend disbursal**. Any delay must be immediately addressed in coordination with the concerned industry. The attendance of the students to ensure the regularity and avoid absenteeism shall be a essential part for timely stipend disbursal.

### 7.3 Apprenticeship Assessment

Assessment shall be conducted strictly as per the **BoS-approved curriculum**, ensuring adherence to **Section 12 – Assessment Methodology of the Apprenticeship Component of the AEDP**. University can develop the assessment mechanism in compliance to the essential key performance indicators in alignment with course opted.

### 7.4 Grievance Redressal and Safety

- The **Grievance Redressal Officer** shall resolve complaints within **7 working days**.
- Issues unresolved beyond **15 days** shall be escalated to the Registrar.
- If deemed necessary, the Registrar may seek intervention from **UPHED or the Directorate**.

Safety compliance must be reviewed periodically by the University's Safety Officer.

## Phase 8 – Credits, Academic Bank of Credits (ABC), and Outcome Tracking

As per Section 9 – Credit Mechanism (subclause i):

“For apprenticeship, the credits would be calculated in terms of duration instead of notional hours. A three-month apprenticeship programme will earn 10 credits.”

### 8.1 Credit Assignment

After successful completion and evaluation of apprenticeship:

- The University shall declare results similar to other UG programmes.
- Credits shall be assigned as per apprenticeship duration.
- The credits shall be uploaded to the **Academic Bank of Credits (ABC)** linked to each student’s ID.

### 8.2 Feedback and Outcome Evaluation

Upon completion, feedback shall be collected from both **employers and students** regarding:

- Strengths of the programme
- Areas of improvement
- Student reflections on learning outcomes

### 8.3 Post-Training Tracking

As per Section 14 – Post-Training Tracking of UGC Guidelines:

“HEIs are expected to track the outcomes of the pass-outs from such programmes for a period of at least one year after completion to assess the employment and education pathways pursued by such candidates.”

The AIC or respective Department shall maintain a **one-year follow-up record** to monitor AEDP outcomes and inform future improvements.

<b>Monitoring Dimension</b>	<b>Indicator</b>	<b>Frequency</b>	<b>Data Source / Tool</b>	<b>Responsible Entity</b>
<b>Institutional Setup</b>	AIC constituted and notified	One-time, Monthly review	Office Order, Website Publication	Registrar / University
<b>Curriculum Development</b>	AEDP curriculum approved by BoS	Semester-wise	BoS Minutes, Approved Syllabus	AIC / Academic Council
<b>Industry Engagement</b>	MoUs signed / active industry partners	Quarterly	MoU Register, Industry Reports	Department Heads
<b>Apprenticeship Deployment</b>	Number of students placed	Each OJT semester	Placement and Attendance Records	Apprenticeship Officer
<b>Stipend Monitoring</b>	Timely stipend disbursal	Monthly	DBT and industry payment records	AIC / Finance Officer
<b>Safety and PoSH</b>	Safety audits and PoSH training completed	Semester-wise	Audit Checklists	Safety Officer
<b>Grievance Redressal</b>	% grievances resolved within 7 days	Quarterly	Grievance Register	Grievance Officer
<b>Academic Credits</b>	% credits uploaded to ABC	Each semester	ABC Portal Record	Registrar Office
<b>Outcome Tracking</b>	Employment or higher education follow-up	Annual	Alumni Surveys, Placement Data	AIC / Department

Each University shall submit a Quarterly AEDP Progress Report (QAPR) to the State Department summarizing achievements, challenges, and best practices based on the above indicators.